खण्ड-448, अंक-3
मंगलवार, 21 माघ, शक संवत् 1925
(10 फरवरी, 2004 ई0)

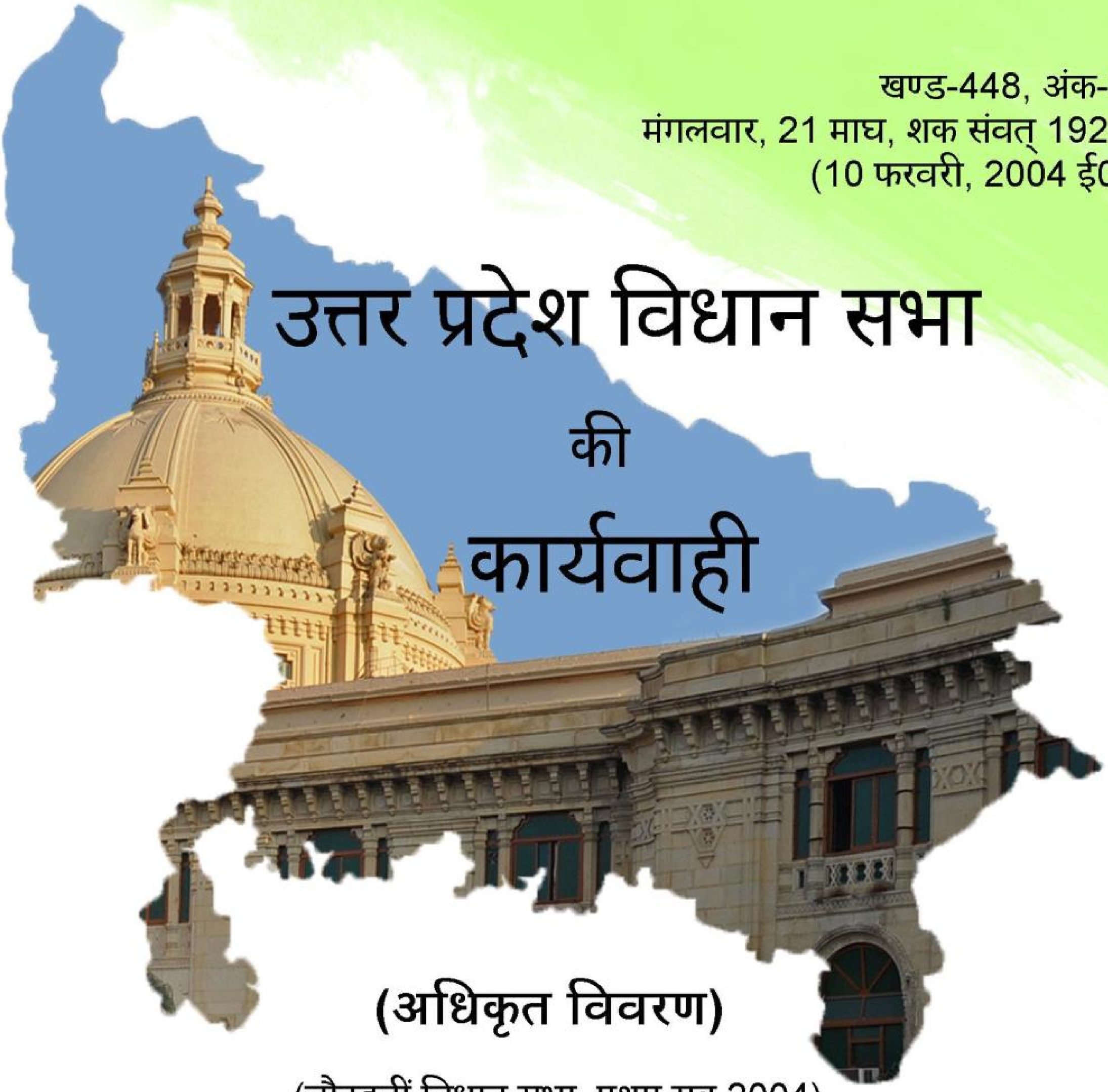

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ङ
सदन में कोरम का अभाव	1
प्रश्नोत्तर	1–23
गन्ना किसानों की समस्या से संबंधित नियम-311 की सूचना को लिए जाने का आग्रह	23
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	23
जनपद झाँसी के मऊरानीपुर विद्युत उपकेन्द्र में अतिरिक्त ट्रान्सफारमर लगाये जाने के लिए नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23–24
अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान के समय निर्धारण पर व्यवस्था का प्रश्न	24
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के कतिपय जिलों/मण्डलों को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न	24–27
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2003 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	27
विधान सभा के तृतीय सत्र 2003 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण .....(सदन के पटल पर रखा गया) ...	27
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5747/ग्यारह-9(239) 96-उ०प्र० अधि०-15-48 आदेश (31) 2002, दि० 13 दिसम्बर, 2002 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	27
विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2-5772/ग्यारह-7 (35) 91-उ०प्र० अधि०–15-48 नियम 1948-2002-(34), दि० 16 दिसम्बर, 2002 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)	28
विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5109/ग्यारह-9(16)-99, उ०प्र० अधि०-15-48 आदेश (36)-2003, दि० 12 दिसम्बर, 2003 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)	28
विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2-5193/ग्यारह–9((16)-2003–उ०प्र० अधि०–15-48 आदेश (38)–2003, दि० 23 दिसम्बर, 2003 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	28
विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-160/ग्यारह–9(2003)/92-उ०प्र० अधि०-12-2000 आदेश–(2)–2004, दि० 15 जनवरी, 2004.....(सदन के पटल पर रखी गयी)	28
"दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन" का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	28–29

अवैध प्रतिलिपि

विषय	पृष्ठ-संख्या

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 को वापस लेने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) 29–30

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ((निरसन) विधेयक, 2004 ..... (पुरःस्थापित) 30–34

प्रदेश में गन्ना किसानो को बढ़े हुये गन्ने का मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना ..... (जारी) 35–36

मद संख्या–19 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ..... (जारी) 37

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़े हुए गन्ने का मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना ..... (जारी) 37–39

मद संख्या–19 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) 39

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़े हुए गन्ने का मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना ..... (जारी) 39–40

मद संख्या–19 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ..... (जारी) 40

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़े हुए गन्ने का मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना ..... (जारी) 40–44

अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) 44–45

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़े हुए गन्ने का मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना 45–46

बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री सत्य नारायण द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र 46

मद संख्या–19 से सम्बन्धित अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ..... (जारी) 47

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..... (जारी)... 47

मद संख्या–19 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) 47–48

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..... (जारी) 48–54

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–01 आबकारी विभाग ..... (स्वीकृत) 54

अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) ..... (स्वीकृत) 54–55

विषय	पृष्ठ-संख्या

अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग खानें और खनिज ..... (स्वीकृत) ... 55
अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) ..... (स्वीकृत) ... 55
अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ..... (स्वीकृत) ... 55–56
अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग ..... (स्वीकृत) 56
अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) ..... (स्वीकृत) 56
अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ..... (स्वीकृत) ... 56
अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) ..... (स्वीकृत) 56–57
अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..... (स्वीकृत) 57
अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ..... (स्वीकृत) 57
अनुदान संख्या–15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ..... (स्वीकृत) 57
अनुदान संख्या–16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) ..... (स्वीकृत) 58
अनुदान संख्या–22, खेल विभाग ..... (स्वीकृत) 58
अनुदान संख्या–24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..... (स्वीकृत) ... 58
अनुदान संख्या–25, गृह विभाग (कारागार) ..... (स्वीकृत) ... 58–59
अनुदान संख्या–26, गृह विभाग (पुलिस) ..... (स्वीकृत) 59
अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ..... (स्वीकृत) ... 59
अनुदान संख्या–31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) .... (स्वीकृत) 59
अनुदान संख्या–32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) ..... (स्वीकृत) ... 59–60
अनुदान संख्या–34, चिकित्सा विभाग, (होम्योपैथी चिकित्सा) ..... (स्वीकृत) ... 60
अनुदान संख्या–35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..... (स्वीकृत) 60
अनुदान संख्या–36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..... (स्वीकृत) ... 60
अनुदान संख्या–37, नगर विकास विभाग ..... (स्वीकृत) ... 60–61
अनुदान संख्या–39, भाषा विभाग ..... (स्वीकृत) 61
अनुदान संख्या–41, निर्वाचन विभाग ..... (स्वीकृत) 61
अनुदान संख्या–42, न्याय विभाग ..... (स्वीकृत) 61
अनुदान संख्या–46, प्रशासनिक सुधार विभाग ..... (स्वीकृत) ... 61–62
अनुदान संख्या–48, मुस्लिम वक्फ विभाग ..... (स्वीकृत) 62
अनुदान संख्या–52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ..... (स्वीकृत) 62
अनुदान संख्या–54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ..... (स्वीकृत) ... 62
अनुदान संख्या–55, लोक निर्माण विभाग (भवन) ..... (स्वीकृत) ... 63

विषय	पृष्ठ-संख्या

अनुदान संख्या–58, लोक निर्माण विभाग, (संचार साधन सड़के) ..... (स्वीकृत)... 63
अनुदान संख्या–60, वन विभाग ..... (स्वीकृत) 63
डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की दि० 5 फरवरी, 2004 की नियम 311 की नियम–56 में परिवर्तित सूचना के सम्बन्ध में जानकारी 63–64
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ... 64
अनुदान संख्या–63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..... (स्वीकृत) ... 64
अनुदान संख्या–67, विधान परिषद् सचिवालय ..... (स्वीकृत) ... 65
अनुदान संख्या–70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ..... (स्वीकृत) ... 65
अनुदान संख्या–71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) ..... (स्वीकृत) ... 65
अनुदान संख्या–72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) ..... (स्वीकृत) ... 65–66
अनुदान संख्या–73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ..... (स्वीकृत) ... 66
अनुदान संख्या–76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ..... (स्वीकृत) ... 66
अनुदान संख्या–77, श्रम विभाग (सेवायोजन) ..... (स्वीकृत) ... 66
अनुदान संख्या–79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) ..... (स्वीकृत) 66–67
अनुदान संख्या–81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) ..... (स्वीकृत) ... 67
अनुदान संख्या–83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) ..... (स्वीकृत) 67
अनुदान संख्या–86, सूचना विभाग .. .. (स्वीकृत) 67
अनुदान संख्या–88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ..... (स्वीकृत) ... 68
अनुदान संख्या–89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) ..... (स्वीकृत) 68
अनुदान संख्या–90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) ..... (स्वीकृत) 68
अनुदान संख्या–92, संस्कृति विभाग ... . (स्वीकृत) 69
अनुदान संख्या–94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ..... (स्वीकृत) ... 69
उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 ...(पारित) ... 69–75
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..... (जारी) 75–79
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..... (चर्चा जारी) ... 79–80
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 80–84

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं 84

जरौली पम्प नहर परियोजना के गलत निर्माण कार्य के स्थान पर नये निर्माण कार्य कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक श्री सुन्दर लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य 85–86

इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज की जमीन दूसरे को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 86–87

मेरठ नगर निगम सहित प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 88–89

जनपद आजमगढ़ में भीषण ओलावृष्टि से किसानों की भरपाई हेतु आर्थिक सहायता का विशेष पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ... 89–90

वाराणसी में गंगा नदी की कटान से रामनगर को बचाने के लिए धन की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य 90–91

जनपद बलिया के चिलकहर स्थित कोडरा ग्राम को टोन्स नदी की कटान से बचाने के लिए ठोकर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... 91

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र की टूटी सड़कों के मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 91–92

जनपद शाहजहांपुर में विधायक की, की गयी संस्तुति पर ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने विषयक श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 92–93

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–338

अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
अजय कुमार, डा० — बागपत
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री — बरेली
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० — जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
आर०एस० कुशवाहा, श्री — खीरी
आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
आर०के० सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
आलम बदी, श्री — आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
आशीष यादव, श्री — बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
ऊषा वर्मा, श्रीमती — हरदोई
ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री मऊ
कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
काशी राम, श्री रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
कैलाश, श्री गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री खीरी
कौशल किशोर, श्री लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा० उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री बांदा
गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
घूरा राम, श्री बलिया
चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
दयाराम, श्री कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री हाथरस
देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
धर्म सिंह सैनी, डा० सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री बलिया
पकौड़ी लाल, श्री मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
पी० के० राय, डा० — कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री — पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
फतेह बहादुर, श्री — महाराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
फागू, श्री — मऊ
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बाबू राम, एम०काम०, श्री — जालौन
बाबू लाल, श्री — गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट — जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री — बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
मस्तराम चौ०, एडवोकेट — उन्नाव
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी — अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री — एटा
माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
मो० शफीर, श्री — फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
यशवन्त सिंह, डा० — मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
रणवीर राणा, श्री — मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी

रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री — आगरा
रमेश चन्द बिन्द, डा० — मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री — खीरी
राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
राम करन आर्य, श्री — बस्ती
राम किशुन, श्री — वाराणसी
राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
राम बाबू हरित, डा० — आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद

राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
रामहेत, श्री — सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबा फूले नगर
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
रेवती रमण सिंह, कुं० — इलाहाबाद
लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा० — मेरठ
लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
विजेन्द्र सिंह, श्री — हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
विनय शाक्य, श्री — औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
विनोद तिवारी, डा० — पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह [illegible] श्री — शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री — ललितपुर
वीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
शंख लाल मांझी, श्री — सन्त कबीर नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा०	बलरामपुर
शिवकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सत्य नारायण, श्री	हरदोई
सन्ध्या कठेरिया, कु०	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुख देवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–1–श्री मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री

2–श्री राम प्यारे सिंह, पर्यावरण मंत्री,

3–श्री बनवारी सिंह यादव, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री तथा

4–श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन में कोरम का अभाव

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है और कोरम के अभाव में बैठक का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप देख लीजिए 40-41 से ज्यादा लोग हैं कोरम पूरा है ।

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)–

मान्यवर, जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है सदन चलाने की उतनी ही जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कोरम कैसे नहीं पूरा है । कोरम पूरा है, मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष–

जब तक कोरम पूरा नही होगा, तब तक घन्टी नहीं बन्द होगी और जब घन्टी बन्द हो गयी है, इसलिए कोरम पूरा है ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु उपाय की जानकारी

**1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नीतियों के अन्तर्गत विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनमें राज्य के प्रशासनिक व्यय में कमी लाये जाने के उद्देश्य से मितव्ययिता की मदों को स्पष्ट करते हुए उनके कठोर अनुपालन के निर्देश जारी किये गये हैं तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि लाये जाने हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व की मदों से सम्बन्धित विभागों को निर्धारित लक्ष्य को पूरा किये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं तथा प्राप्तियों की प्रगति को बनाये रखने के लिये इनका अनुश्रवण भी निरन्तर किया जा रहा है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब इस सरकार का गठन हुआ तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत जोर-शोर से कहा था कि जो अनुत्पादक खर्चे हैं उन पर हम बहुत कठोरता से कार्यवाही करेंगे और इस दिशा में उन्होंने कुछ व्यक्तिगत अपने ऊपर होने वाले, जो माननीय मुख्य मंत्रियों के ऊपर खर्च होते रहे हैं उसमें कुछ कटौती करने की घोषणा भी की थी, जो स्वागत योग्य है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, जो अन्य अनाप-सनाप खर्च होते रहे हैं, उन खर्चों में कटौती करेंगे और उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे, मेरी अपेक्षा यह भी थी कि इसके लिए सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी लेकिन जैसा उत्तर से स्पष्ट है कि योजना के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता । तो मैं यह माननीय मुख्य

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कोई कार्य योजना ही नहीं है तो जो आपने खर्चों में कटौती करने की घोषणा की थी, और कहा था कि वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे, यह कैसे आप पूरा करेंगे ? क्या आप बताने की कृपा करेंगे ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नीतियों के अन्तर्गत विभिन्न उपाय किये गये हैं, उसके अनुपूरक में मैं जानना चाहता हूं कि वह वर्तमान नीति क्या है, और उसका अनुपालन आप किस प्रकार सुनिश्चित कर रहे हैं, और खर्चों में कटौती आप किस प्रकार से कर रहे हैं ? क्या आप यह सब बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्रीमन्, कल यहां विधिवत बजट पेश होगा और माननीय नेता सदन के भाषण से और बजट से आज के सवाल का जवाब मिल सकेगा पूरा ।

लेकिन मान्यवर, यह कोई औचित्य नहीं है कि यह बात कह कर मैं इसके जवाब से पल्ला झाड़ लूं । आपके प्रश्न का जवाब आज ही मिलना चाहिए ।

मान्यवर, यह बात सही है कि सरकार उन खर्चों में कमी लायी है जो पहले बहुत ज्यादा थे । लेकिन उससे हमारा वित्तीय घाटा पूरा नहीं होता है । वह जरूरतों से 180 प्रतिशत ज्यादा हैं । कुछ ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं जिनका किया जाना मजबूरी है । मसलन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें, वह 8,800 करोड़ रुपये हैं । अध्यापकों को जो पैसा जाता है वह 5,575 करोड़ रुपये है और पेंशन का 3,573 करोड़ रुपये हैं । जो ब्याज है वह 11 हजार करोड़ रुपये है । यह कुल मिलाकर 28 हजार 950 करोड़ होता है । जो 180 प्रतिशत ज्यादा है, जो पैसा हमें करों से मिलता है । तो यह सूरत हाल है प्रदेश की । हमने कुछ खर्चों में कटौती की है, मिसाल के तौर पर कैबिनेट में जो नाश्ता आता था उसमें कटौती हो गयी है । मंत्रियों को जो जेब खर्च मिलता था उसमें कटौती की गयी है, उनके चाय नाश्ते में कटौती हो गयी है । इसी के साथ-साथ जिलाधिकारियों को और तमाम सरकारी मीटिंगों में यह निर्देश दिए गये हैं कि कम से कम खर्च किया जाए । गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए । हमारे अपने विभाग में इसकी शुरूआत हुई है । महापौरों, उपमहापौरों, पार्षदों, नगर आयुक्तों, उप नगर आयुक्तों को मोबाइल फोन की मिली सुविधा समाप्त कर दी गयी है । हमने यह कह दिया है कि फलां तारीख के बाद अगर कोई इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें अपनी तनख्वाह से पैसा देना पड़ेगा और अगर नहीं देंगे तो रिकवरी की जायेगी । इसी तरीके से हमने गाड़ियां भी वापस ले ली हैं, जो खड़ी हो गयी हैं ।

इसी तरीके से मान्यवर, एक और कोशिश मेरे विभाग में यह की गयी है कि जितने अधिशासी अधिकारी हैं उनके फोन से एस०टी०डी० की सुविधा काट दी गयी है हमने यह कहा है कि अगर जरूरी हो तो आप फोन करें और उसका बिल पेमेन्ट कर दिया जाए, इसके अलावा बहुतों को गाड़ी के पेट्रोल के रूप में 500 रुपया प्रतिमाह देना प्रस्तावित है मेरे विभाग में । तो मान्यवर, जहां भी कमी की जा सकती है उसमें प्रयास शुरू हो गया है और प्रभावी प्रयास शुरू हो गया है ।

मान्यवर, पिछली सरकार ने जो प्राथमिकताएं बना रखी थी कि स्कूलों में फीस बढ़ा देंगे, अस्पतालों का पर्चा और इलाज महंगा होगा । लेकिन हमारी सरकार ने इसके बिल्कुल बरक्स फीस माफी की है , हर गरीब वर्ग की छात्रा जो इण्टरमीडिएट पास करेगी उसको 20 हजार रुपये दिए जायेंगे । अस्पतालों का पर्चा क्योंकि यह खैराती अस्पताल कहलाते हैं वह आठ रुपये से घटा कर एक रुपया कर दिया गया है । पहले यह पर्चा आठ रुपये में बनता था और एक सप्ताह के लिए मान्य होता था । इसी तरह से तमाम जांचों के शुल्क को कम किया गया है । अस्पतालों में भर्ती के शुल्क को समाप्त किया गया है । क्योंकि इन अस्पतालों में ज्यादातर गरीब लोग ही अपने इलाज के लिए जाते हैं ।

मान्यवर, इसी तरीके से हमने वैट को लागू नहीं किया है । इसके अलावा हमारे समाज में पढ़े-लिखे नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है जो बेरोजगार हैं । उनका दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा था । हमारी सरकार ने किसी हद तक भर्ती खोल दी है, शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है । इस तरह से यह हमारी सरकार की एक कोशिश की शुरूआत है ।

मान्यवर, अभी पिछले दिनों कुछ प्रदेशों में विधान सभाओं के चुनाव हुए उसमें बहुत से पुराने मुद्दे नाकाम हो गये और जो लोग पहले कहीं विकास की बात का नाम नहीं लेते थे उन्होंने भी इस बार विकास के नाम पर जनता से वोट मांगें और विकास के नाम पर ही लोगों का वोट मिला । बिजली के नाम पर पानी के नाम पर सड़क के नाम पर वोट मिले । सरकार की यह कोशिश है कि आने वाले दिनों में इसका जवाब दिया जा सके, इसकी कोशिश हो रही है । प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी चीजें शुरुआत करने की मंशा है । सरकारी ऐसे खर्च जहां खर्च कम किये जा सकते हैं उन्हें कम किया जाय ताकि उन संसाधनों को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकें । मेरा चौधरी साहब से आग्रह नहीं है निवेदन है कि आपका सवाल और आपके सवाल पेश करने का अंदाज काफी अच्छा होता है और जवाब मुश्किल बन पाता है । आप हमारी मंशा समझ गये हैं, मंशा आप भी अच्छी तरह से जानते हैं । इसलिए सरकार प्रयासरत है संसाधन और जुटाने की कोशिश में है । जो संसाधन जुट पाने वाले हैं उसके बारे में कल आपको विस्तृत जानकारी मिल जायेगी ।

श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की जर्जर वित्तीय स्थिति का उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पहले अभिभाषण में किया था उस जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए क्या नीति निर्धारित की गयी है और क्या क्या योजनाएं हैं ? अभी तक प्रकाश में यह बात नहीं आ पा रही है जिसके कारण लोगों में विश्वास पैदा हो जाय कि हमारी वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास यह सरकार कर रही है इसलिए प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया है कि नीति क्या निर्धारित है और कार्य योजना क्या है ? हमारे ही क्षेत्र में अभी जब मैं वित्त मंत्री था तो ढाई करोड़ दिया गया था एक राष्ट्रीय स्तर के विकलांग विद्यालय के लिए और बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गयी । 6 माह से ज्यादा हो गये बिल्डिंग बने लेकिन अब उत्तर यह दिया गया है कि वित्तीय संकट के कारण यह विद्यालय चलाया नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं । प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि जर्जर वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कौन सी नीति बनाई है और कौन सी कार्य-योजना है ? नीति और कार्य योजना स्पष्ट करने के बाद ही विश्वास पैदा होगा कि लोगों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी और हमारा काम काज रुकेगा नहीं । सुधारने के लिए कहां-कहां कटौती किया है यह अलग प्रश्न है लेकिन इसके बाद राजस्व की आय नहीं बढ़ रही है तो संकट जस का तस है । प्रश्न यह है कि नीति क्या है, कार्य-योजना क्या है जिससे लोगों का विश्वास बढ़े कि वित्तीय स्थिति ठीक होगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय कोई ऐसी बातचीत या ऐसा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है । श्रीवास्तव साहब समझते हैं । हम जानते हैं कि लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं उसके बावजूद भी कम से कम हिसाब आप लगायेंगे 63 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष जिला और मंडल खत्म करने से बचत होगी । हमने जो किया वह प्रदेश के हित में किया । प्रदेश का हित हमारी प्राथमिकता है, चुनाव जीतना हमारी प्राथमिकता नहीं है इसलिए इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है ? जहां तक और नीतियां हैं उसके बारे में कल आपको पता चल जायेगा । बजट पेश हो रहा है । कल ही सुप्रीमकोर्ट ने जो एन्टी टैक्स वाला जो फैसला किया था । कैबिनेट का, हाईकोर्ट से वह आर्डर खिलाफ हो गया था उसे उच्चतम न्यायालय ने फिर से हमारी सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है उससे 1200 करोड़ रुपया तीन साल के अन्दर आयेगा यह

सही है आपके सामने तस्वीर है, प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति होते हुए भी सरकार की नीति है कि चाहे जितनी बाधाएं हो लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम उसकी बाधाएं जितनी हैं, उन बाधाओं को दूर करेंगे । हम फिर दोहराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान का आदर्श प्रदेश बनायेंगे ।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कर्मचारी अध्यापक तथा पेंशन से जुड़े मसले पर 28,500 करोड़ का व्यय बताया । मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक ने जो निर्देश दिया है कि प्रतिवर्ष ऐसे खर्चों को कम करने के लिये सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत कमी की जाय, क्या सरकार इसको लागू करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सदन के बाहर कुछ और सदन के अन्दर कुछ । यह माननीय सदस्य का तरीका हो सकता है । विश्व बैंक ने 2 प्रतिशत कटौती के लिये कहा है और आप चाहते हैं कि लोगों को नौकरियां न दी जायें । बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि सरकार लोगों को नौकरियां न दें, रोजगार न दें यह उनकी सोच हो सकती है और ऐसी सोच उनकी रही भी है जनता का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा से ज्याद जनता लूटी जाय, ज्यादा से ज्यादा अहित हो और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी बढ़े । पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी न मिले, सरकार की तरफ से ऐसे विचार का स्वागत नहीं किया जा सकता ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हमारी सरकार ने तो 20 हजार लोगों को नौकरी दिया है । मैंने तो सिर्फ यह पूछा था कि आप विश्व बैंक की बात मानेंगे कि नहीं, इसमें बहुजन समाज पार्टी कहां से आ गयी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की बात से स्पष्ट हो गया कि वह विश्वबैंक के इस निर्देश को स्वीकार नहीं करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि प्रशासनिक व्यय में कमी लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं और राज्य के राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यय में विगत 4 महीनों में क्या इस निर्देश के बाद कुछ कमी आई है और कितनी कमी आई है ? दूसरा सवाल यह है कि राज्य के राजस्व बढ़ाने के जो उपाय किये गये हैं जो निर्देश इस संबंध में दिये गये हैं, उससे विगत 4 महीनों में राजस्व में कितनी वृद्धि हुयी है । तीसरा सवाल यह है कि मितव्ययिता के लिये मंत्रि-मंडल के सदस्यों के जेब खर्च और चाय पान में कमी करने का काम किया गया है, उसके माध्यम से विगत 4-5 महीनों में जेब खर्च और चाय पान पर कितनी कमी हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

इतना ब्यौरा कैसे दे पायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने काफी गंभीर प्रश्न किया है । चाय पानी में कमी का अन्दाज हुआ है, उसकी तफ्सील देने की कोशिश की जायेगी, इस वक्त नहीं है । मान्यवर, सरकार के गठन के बाद राज्य की राजस्व वसूली की प्रभावी समीक्षा की गयी और इसके लिये एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई,

जिसकी सिफारिशें बराबर आ रही हैं और उसकी मुसलसल मीटिंग्स हो रही है, कार्य चल रहा है कि किस तरह से संसाधन बढ़ाये जायें और किस तरह से घाटा कम किया जाय । मान्यवर, यह एक लम्बा चार्ट है । माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे पढ़ना प्रारम्भ कर दूं, कितनी आमद है कितना जामद है, भू-राजस्व स्टाम्प पंजीकरण, यह सारा चार्ट में दिखा सकता हूं और इसे पढ़ने में काफी समय लगेगा । संक्षिप्त में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सरकार इस बारे में बराबर प्रयासरत् है कि घाटे को कम से कम किया जा सके, आमदनी बढ़ायी जा सके और उत्तर प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि प्रशासनिक व्यय में कमी करने के निर्देश हुए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि विगत 4 महीने में जब से सरकार पदारूढ़ हुई है कितनी प्रशासनिक व्यय में कमी हुई, कितनी मितव्ययिता बरती गयी और राजस्व वसूली में कितनी वृद्धि हुई ? यदि इसका जवाब आ जाता तो प्रदेश की जनता के सामने तस्वीर साफ हो जाती कि राज्य सरकार जो कहती है उसमें कितना कर रही है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो कटौतियां की गयी हैं उसका पूरा ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वह ब्यौरा उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा । सरकार की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली हो लेकिन राजस्व वसूली में वह तरीका नहीं रखा गया है जो कि पहले था । गरीब किसान को बन्द नहीं किया जा रहा है और गरीब किसान को बन्द न करने से राजस्व की वसूली उतनी नहीं हो पायी, इसको कहने में सरकार को कोई शर्मिन्दगी नहीं है । बड़े बकायेदार जिन्हें खुली छूट थी जिनके संबंध सरकार से बहुत अच्छे थे, जिन्हें तहसीलदार पकड़कर नहीं लाता था और गरीब किसान को तहसील में लाकर बन्द किया जाता था, उस राजस्व वसूली को सरकार अपनी उपलब्धि नहीं मानती है । लेकिन मान्यवर, सरकार बराबर प्रयासरत् है कि राजस्व का घाटा कम हो और संसाधन बढ़ें ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था उससे संबंधित मेरा प्रश्न है । मुख्य मंत्री जी बहुत कम समय के लिए आये और उत्तर देकर चले गये और खर्च कम करने के उपाय उन्होंने बताये, कुछ मंडल खत्म कर दिये, श्री जगदीश राणा जी, भी तालियां बजा रहे थे, हां बजाइये, खूब बजाइये । मेरा प्रश्न यहां तक सीमित है कि यदि वास्तव में मण्डल खत्म करना खर्च में कमी करने का उपाय था तो उस उपाय में कन्नौज, बागपत और महोबा इन तीन जिलों को खत्म न करने का क्या कारण था ? उसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था तो क्यों तीन जिले छोड़ दिये गये और बाकी जिलों को और मण्डलों को समाप्त कर दिया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी को याद होगा वर्ष 1998 में आपकी सरकार में एक सब कमेटी बनी थी और आप उसके अध्यक्ष थे, उसकी सिफारिश थी कि यह जिले खत्म नहीं कर दिये जायं । जिले खत्म नहीं हुए, जिले अपनी जगह हैं, सारे कार्यालय उसी जगह हैं हां, जमीनों की खरीद फरोख्त में थोड़ी कमी आ गयी है । मान्यवर, जिस दिन से नोयडा जिला खत्म हुआ है उसी दिन से 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर जमीन की कीमत कम हो गयी है । भू-माफियाओं को इससे तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है इसका अहसास हमें भी है । उस सब कमेटी, जिसके आप अध्यक्ष थे, आपकी यह संस्तुति थी कि ये जिले समाप्त कर दिये जायं क्योंकि इससे बड़ा खर्चा बढ़ रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए । मेरा सवाल यह था कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य नहीं है तो क्या है ? क्या सब-कमेटी की यह भी रिपोर्ट थी कि बागपत, महोबा और कन्नौज जिले समाप्त न किये जायं । बाकी अन्य जिले समाप्त कर दिये जायं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इतना तो आपने मान ही लिया कि संस्तुति आपकी थी । आपकी संस्तुति में हमने थोड़ा सा संशोधन कर लिया है और कुछ नहीं किया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से सारे प्रदेश और सदन के सामने राजनीतिक बेईमानी नजर आ गयी । अगर आपको सब-कमेटी की रिपोर्ट माननी थी तो उसके आधार पर इन तीनों जिलों को रखने का औचित्य नहीं था ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा यह नहीं थी कि सरकार गरीबों को राहत देने के लिए खर्च में कमी न करें । यहां बार-बार उदाहरण दिया जाता है कि दवा की पर्ची के शुल्क में कमी कर दी और भी कमी कर सकते हैं, वह करें । मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि जो बहुत से फिजूलखर्च हैं, जो अनाप-शनाप व अनुत्पादक व्यय है और जो नौकरशाही के ठाठ हैं उस पर रोक लगायें । उदारण स्वरूप आपने दो-एक मिसाल गिनाया है कि मोबाइल पर रोक लगा दी और कारें वापस ले ली । मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी कार्य योजना बनायी गयी है ? मेरी मंशा थी कि शायद आपने कोई कार्य योजना बनायी होगी । न आप विशेषज्ञ हैं, न मैं विशेषज्ञ हूं और न ही यहां बैठे हुए माननीय सदस्य हर विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं । मैं सरकार से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ आपने किया है वह सही है या गलत है उस पर यह सदन विचार करेगा लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुत्पादक खर्चों में कटौती हो और किन-किन विषयों में, खर्च में कटौती करके सरकार के ऊपर जो अनावश्यक वित्तीय भार है उसको कम करने की दिशा में आप कोई विशेषज्ञ कमेटी का गठन करेंगे और उसके द्वारा दिये हुए सुझावों पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् की एक सब-कमेटी बनी हुई है । अगर उससे सरकार की संतुष्टि नहीं होती है, उससे संसाधन नहीं बढ़ते हैं और राजस्व वसूली प्रभावी ढंग से नहीं होती है तब हमें सोचना होगा । मान्यवर, ऋण की अदला-बदली की गयी है । काफी कर्ज था उसको दूसरे मद से ऋण लेकर वापस की गयी है ताकि उस पर पड़ने वाला इंट्रेस्ट कम हो सके । इस तरह से कई कदम उठाये जा रहे हैं । आपका सुझाव अच्छा है लेकिन कोई ऐसी स्थिति आती जब हम वित्तीय संसाधनों में सुधार न ला सकें या मंत्रि-परिषद् की सब-कमेटी के सुझावों या की हुई कोशिशों में यह महसूस कर सकें कि कमी है जो जरूर सोची जा सकेगी । आपके प्रश्न की जो मंशा है उसको देखते हुए मैं ऐसा जवाब नहीं देना चाहता कि लीपापोती हो जाय । सरकार बराबर कोशिश कर रही है । आपने सिर्फ अस्पताल के पर्चे की बात की । हमने सिर्फ अस्पताल के पर्चे की ही सुविधा नहीं दी बल्कि जो बुनियादी वादे किये गये हैं जनता से, उसके स्वास्थ्य के लिए उसकी जिन्दगी के लिए, उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है । सिर्फ 8 रुपये से 1 रुपया पर्चा का ही नहीं किया गया है बल्कि उसके बिस्तर की फीस को खत्म किया गया है, जांच की फीस को खत्म किया गया है और तमाम फीसें खत्म हुई हैं । बच्चों की फीस को खत्म किया गया है, इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा मुफ्त की गयी है । यह सारे खर्चे ऐसे हैं जिनसे वित्तीय भार बढ़ा

है । लेकिन यह भार सरकार ने इसलिए बढ़ाया है कि इससे आम आदमी को फायदा मिला है । आम आदमी के लिए सरकार बचनबद्ध है । उसकी मदद में हम कोई कमी नहीं करेंगे । हमें आशा है कि आपका सहयोग भी इसमें मिलेगा ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[तीसरे मंगल के लिए स्थगित]

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रधानाचार्य/अध्यापकों को निलम्बित किये जाने की व्यवस्था

*2–श्री अनार सिंह दिवाकर (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रधानाचार्य/अध्यापक को निलम्बित किये जाने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय तीन की धारा 16 के विनियम 7 के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक को अनुमोदन देने हेतु अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या ऐसे निलम्बन/अनुमोदन के विरुद्ध प्रभावित व्यक्ति द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से उच्च स्तर के अधिकारी को अपना प्रत्यावेदन दिये जाने की व्यवस्था नियमों में की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 16(छः) के विनियम 7 में नहीं अपितु अधिनियम की धारा 16(छः) की उप धारा 7 के अन्तर्गत उक्त व्यवस्था की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि अधिनियम की धारा 16(छः) की उप धारा 8 में जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रत्यावेदन पर पुनर्विचार करने का प्राविधान है ।

अतारांकित प्रश्न

गांधी राष्ट्रीय विद्यालय इण्टर कालेज राठ, जनपद हमीरपुर की भूमि प्रबन्धक द्वारा बेचे जाने के सम्बन्ध में न्यायालय में दायर वाद

1–श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी राष्ट्रीय विद्यालय इण्टर कालेज, राठ (पो० व परगना तथा तहसील–राठ) जनपद हमीरपुर की 14 बीघे भूमि प्रबन्धक द्वारा पच्चीस हजार रुपये में 1991 में धूराम उर्फ बाबूराम पुत्र बलदेव निवासी कुडार चन्दौली, जनपद हमीरपुर को बेची गई है ? यदि हां, तो क्या दि०यू०पी० एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन (प्रिवेशन आफ डिसिपेशन आफ एसेस्ट्स) ऐक्ट 1974 के प्राविधानों के तहत उक्त भूमि की बिक्री की अनुमति शिक्षा निदेशक से ली गई है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधित अधिनियम की धारा 16 डी (8) के अन्तर्गत उसे चूक मानते हुए उक्त विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त तारांकित प्रश्न समाप्त हो गये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

क्योंकि वर्तमान प्रबंधक समिति द्वारा बेची गयी भूमि को वापस लेने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि वर्तमान प्रबन्ध समिति द्वारा बेची गयी भूमि को वापस लेने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है । अतएव प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा समिति विद्या मंदिर इण्टर कालेज रामबाग, इलाहाबाद में वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष आडिट कराये जाने के आदेश

2–श्री अनार सिंह दिवाकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा समिति विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, रामबाग, इलाहाबाद में वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के पत्रांक आडिट सामान्य (1) 18-26/99-2000, दिनांक 6-4-99 आडिट सामान्य (1) 81-82/99-2000, दिनांक 24-4-99 तथा आडिट सामान्य (1) 288-92/99-2000, दिनांक 9-5-99 द्वारा संयुक्त निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को विशेष आडिट कराने हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका स्पेशल आडिट कराया गया ? यदि हां, तो आडिट में क्या-क्या अनियमितताएं प्रकाश में आयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण आडिट नहीं कराया जा सका । पुनः आडिट कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3–श्री मोख्तार अन्सारी–

[दूसरे बुधवार के अता० प्र० सं०–52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर के डा० गणेश कृष्ण जैतली इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा बैंक में लिपिक के नाम से खोले गये खातों की जांच

4–श्री रियाज अहमद–

उत्तर प्रदेश विधान सभा में द्वितीय सत्र, 2002 के दूसरे मंगलवार को श्री शारदानन्द अंचल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०–157 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोनों खातों का खोला जाना अनियमित मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त आदेश के आधार पर कोई जांच की गई ? यदि हां, तो सम्बन्धित जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

खाते बन्द कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

व्यावसायिक शिक्षा में अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने की नीति

5–श्री प्रेम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यवसायिक शिक्षा में अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने की नीति क्या है ? क्या एक ही विषय के लिये एक ही कक्षा के दो अतिथि विषय विशेषज्ञों को रखे जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि डा० जी० के० जैतली इण्टर कालेज, अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में विषय विशेषज्ञों को जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर के आदेश सं०–व्यवसायिक शिक्षा/2377-88/2003-04 दिनांक 24 अगस्त, 03 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

व्यवसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत चयनित ट्रेडों में अध्यापन कार्य हेतु अतिथि विषय विशेषज्ञों को रु० 50/- प्रति व्याख्यान अधिकतम रु० 1500/- प्रतिमाह की दर से प्रति वर्ष अधिकतम 10 माह हेतु दिये जाने की व्यवस्था है ।

केवल प्रधानाचार्य द्वारा ही एक अथवा एक से अधिक अतिथि विषय विशेषज्ञों में, नियुक्ति न कर, ट्रेड के शिक्षण/प्रशिक्षण के आवश्यकतानुसार समय-समय पर आमंत्रित कर कार्य लिये जाने की व्यवस्था है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गैर अनुदानित उर्दू मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने पर विचार

6–श्री मोख्तार अंसारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गैर अनुदानित उर्दू मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गैर अनुदानित उर्दू मदरसों को अनुदानित करने की बेसिक शिक्षा विभाग की कोई योजना नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद के यूनाइटेड कालेज आफ इन्जीनियरिंग एण्ड रिसर्च नैनी में अध्ययनरत छात्रों की समस्याओं के निदान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

7–श्री आनन्द सेन–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूनाइटेड कालेज आफ इन्जीनियरिंग एण्ड रिसर्च नैनी, इलाहाबाद में अध्ययनरत छात्रों की समस्याओं के निदान हेतु आपका आदेश

संख्या–337/वी०आई०पी०, दिनांक 14-11-03 प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र० शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच करा ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां । प्राविधिक विश्वविद्यालय के माध्यम से करायी गयी जांच में शिकायतों को निराधार पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय भाषा संस्थान मानस गंगोत्री मैसूर द्वारा संचालित क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों पर उर्दू भाषा के शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु चयन

8–श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय भाषा संस्थान मानस गंगोत्री मैसूर द्वारा संचालित क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों पर विभिन्न आधुनिक भाषाओं में कार्यरत शिक्षकों को चयनित कर प्रदेश में निदेशक उर्दू के माध्यम से लखनऊ में उर्दू भाषा केन्द्र में प्रशिक्षण का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रदेश के शिक्षकों का भी चयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

वर्ष 2003-04 में कुल 7 आवेदन-पत्र जनपदों से प्राप्त हुए, जिनमें से उर्दू भाषा के दो आवेदन-पत्र ही प्रशिक्षण हेतु अर्ह पाये जाने पर उन्हें उर्दू निदेशालय द्वारा भारतीय भाषा संस्थान मैसूर को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया । परन्तु इस वर्ष किसी अध्यापक/अध्यापिका के चयन विषयक सूचना संस्थान से निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

उपरोक्तानुसार ।

लघु सिंचाई विभाग मुख्यालय जवाहर भवन, लखनऊ में अनुसूचित जाति के लिपिकों की ज्येष्ठता सूची एवं पदोन्नतियों आदि में की गयी अनियमितता की जांच

9–श्री अवधेश कुमार–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्बास अली जैदी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 11-11-03 जो मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग मुख्यालय जवाहर भवन, लखनऊ में अनुसूचित जाति के लिपिकों की ज्येष्ठता सूची, पदोन्नतियों आदि में की गयी अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)–

माननीय विधायक का विषयगत शिकायती-पत्र जिस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, दिनांक 11-11-03 को प्राप्त हुआ है ।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता की आख्या प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण करके नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई उ० प्र० के कार्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी करने की मांग

10-श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उ० प्र० के कार्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या-13/2/91टी०सी०-का-1/2003, दिनांक 13 जनवरी, 2003 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार संशोधित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि संशोधित ज्येष्ठता सूची कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री शाकिर अली-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या-13/2/91टी०सी०-का-1/2003, दिनांक 13-01-2003 के क्रम में संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी करने के सम्बन्ध में दो कार्मिकों की ज्येष्ठता विवादित होने के कारण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रकरण के सम्यक् परीक्षणोपरान्त ज्येष्ठता सूची यथाशीघ्र जारी की जायेगी ।

ग्राम बिसूढ़ा मजरा सोनिकपुर तहसील सण्डीला जनपद हरदोई के प्राइमरी कन्या पाठशाला एवं उसके खेल के मैदान की जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

11-श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-बिसूढ़ा, मजरा सोनिकपुर, तहसील सण्डीला, जनपद-हरदोई स्थित प्राइमरी कन्या पाठशाला एवं उसके खेल के मैदान की जमीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटवाकर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भगवती दीन मिश्र लघु मा०वि० तारापुर जनपद प्रतापगढ़ में विद्यालयीय प्रबन्धतंत्र द्वारा दी गयी फर्जी नियुक्तियों के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच

12-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि भगवती दीन मिश्र लघु मा०वि० तारापुर, जनपद प्रतापगढ़ में विद्यालयीय प्रबन्धतंत्र द्वारा की गयी फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के संबंध में माननीय श्री बादशाह सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 19 मई, 2003 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह–

जी हां । प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ता (संस्कृत) के पद पर डा० रंजना श्रीवास्तव की यू०पी० कालेज वाराणसी द्वारा नियुक्ति पर रोक का प्रकरण

13–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि विनियमितीकरण समिति द्वारा नियमों के विरुद्ध संस्तुति करने तथा सन् 2000-2001 में उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ता (संस्कृत) के पद पर नियुक्ति के लिये डा० रंजना श्रीवास्तव की नियुक्ति यू०पी० कालेज, वाराणसी द्वारा विगत 20 माह से रोके जाने संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 2003 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 7-10-2003 प्राप्त होना नहीं पाया गया । सन् 2000-2001 में उच्च शिक्षा सेवा आयोग में चयनोपरान्त डा० रंजना श्रीवास्तव की आसन व्यवस्था निदेशालय के आदेश पत्र दिनांक 15-12-2001 द्वारा उदय प्रताप कालेज वाराणसी में की गयी थी । किन्तु महाविद्यालय द्वारा इन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया । प्रबन्धक द्वारा कार्यभार ग्रहण न कराये जाने पर निदेशक के पत्र दिनांक 18-2-2003 को आयोग अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नोटिस भेजी गयी । इस सम्बन्ध में महाविद्यालय ने यह सूचित किया कि संस्कृत प्रवक्ता के जिस पद को रिक्त मानते हुए डा० रंजना श्रीवास्तव की आसन व्यवस्था की गयी है, वह वास्तव में रिक्त नहीं है और उस पर डा० सुमन सिंह याचिका संख्या–5752/94 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 24-3-94 के अन्तर्गत कार्यरत है । विनियमितीकरण समिति ने बैठक दिनांक 25-9-2003 में डा० सुमन सिंह को तदर्थ रूप से नियुक्त मानते हुए विनियमित किये जाने की संस्तुति की है । यू०पी० कालेज वाराणसी में संस्कृत प्रवक्ता का एक ही पद है । डा० रंजना श्रीवास्तव ने किसी अन्य महाविद्यालय में अपनी आसन व्यवस्था हेतु अनिच्छा प्रकट की है ।

जनपद प्रतापगढ़ तहसील पट्टी की ग्राम सभा ठनेपुर, गोपापुर के प्राइमरी विद्यालय के पुराने भवन में अवैध कब्जा हटवाने की मांग

14–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़, ग्राम सभा ठनेपुर, गोपापुर, तहसील पट्टी स्थित ठनेपुर गोपापुर के प्राइमरी विद्यालय के पुराने भवन तथा परिसर की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके उक्त सरकारी भवन में निजी विद्यालय चलाया जा रहा है ? क्या इस संबंध में मा० राज्य मंत्री, कृषि का पत्र सं०-37 बी०आई०पी०/2, दिनांक 29-10-02 एवं 555 दिनांक 27-3-03 मा० मुख्य मंत्री जी को भेजा गया, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह–

कुछ लोगों द्वारा पुराने भवन में अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था तथा वर्तमान में अवैध कब्जा समाप्त करा दिया गया है ।

जी हां ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में राजकीय इण्टर कालेज/हाई स्कूल की स्थापना विषयक मुख्य मंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन की मांग

15–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं०–70/2001, दिनांक 9-6-2001 जो जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में राजकीय इण्टर कालेज/हाई स्कूल की स्थापना से संबंधित था, के क्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के पत्र सं०-3-1/प्रतापगढ़/5260/01-02, दिनांक 17-9-01 उप शिक्षा निदेशक, शिविर कार्यालय 18, पार्क रोड लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

नये राजकीय विद्यालयों के स्थापना नीति समाप्त होने और इस हेतु आय-व्ययक में कोई व्यवस्था न होने के कारण स्थापना संभव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

16–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य मंत्री, कृषि का पत्र सं०-496, दिनांक 12-3-03 एवं पत्र संख्या 1416, दिनांक 22-7-03 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के स्थान पर निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना कराये जाने संबंधी शासन की नीति के फलस्वरूप नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना मद में कोई धन व्यवस्था उपलब्ध न होने तथा वर्तमान में जनपद-प्रतापगढ़ में 14 महाविद्यालय संचालित होने के कारण नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पं० दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में बी०एस०सी० की कक्षाएं प्रारम्भ करने की मांग

17–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं० दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में बी०एस०सी० की कक्षाएं आगामी शिक्षा सत्र में प्रारम्भ की जायेंगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

महाविद्यालय में विज्ञान विषयों की कक्षायें संचालित करने हेतु आवश्यक पद सृजित न होने, सम्बद्धता प्राप्त न होने तथा अवस्थापना सुविधायें न होने के कारण आगामी शैक्षिक सत्र से कक्षायें प्रारम्भ नहीं की जा सकती हैं ।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण विषयक मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कराने की मांग

18–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण विषयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील सं० 6414/89 में निर्णीत आदेश दिनांक 18-3-99 का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में माननीय चिन्मयानन्द सांसद का पत्र दिनांक 19-9-2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मा० सांसद ने अपने उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-03-1999 के अनुपालन में याची श्री वीरभद्र दीक्षित को विनियमित करने की अपेक्षा की है । मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18-03-1999 के द्वारा याची को विनियमित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया था अपितु अधीक्षण अभियन्ता के आदेश दिनांक 23-07-1988 जिससे याची को कार्य प्रभारित मिस्त्री से कार्य प्रभारित हेल्पर के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया था, को विखण्डित कर दिया गया था । उल्लेखनीय है कि मा० सांसद का उक्त पत्र प्राप्त होने के पूर्व अधिशासी अभियन्ता, जौनपुर ने मा० न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-3-1999 के अनुपालन में आदेश दिनांक 17-7-2001 के माध्यम से याची को पूर्ववत् 01-06-74 से कार्य प्रभावित मिस्त्री के पद पर तैनात कर दिया गया है । इस प्रकार मा० सांसद के उक्त पत्र दिनांक 19-2-2002 में संदर्भित मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री गोपाल जी यादव, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली की पुत्री के इलाज पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति भुगतान कराने की मांग

19–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपाल जी यादव, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली की पुत्री के इलाज पर हुए व्यय रु० 570434.00 की प्रतिपूर्ति विषयक दावा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० इलाहाबाद के पत्रांक मा०शि०प०/नियुक्ति/3604, दिनांक 30-12-2000 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या दावे का भुगतान संबंधित को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० इलाहबाद के पत्रांक मा० शि०प०/नियुक्ति/3604, दिनांक 30-12-2000 द्वारा श्री गोपाल जी की पुत्री के चिकित्सा पर हुए व्यय का प्रतिपूर्ति दावा रु० 57435.00 महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र०, लखनऊ को भेजा गया है ।

जी नही ।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र० लखनऊ की संस्तुति प्राप्त होने पर चिकित्सा विभाग/वित्त विभाग की राय प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, तहसील कैम्पियरगंज के वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान की कक्षाओं हेतु अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

20–श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग की कक्षाओं के संचालित होने के बाद वर्तमान सत्र 2003-04 में शिक्षण कार्य हेतु वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग में कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय कैम्पियरगंज गोरखपुर में वाणिज्य विषय की कक्षाओं के संचालन हेतु एक प्रवक्ता की तैनाती की जा चुकी है । विज्ञान विषयों के प्रवक्ताओं की कमी होने के कारण शैक्षिक सत्र 2003-04 में अध्यापकों की तैनाती नहीं की जा सकी है ।

विभिन्न विषयों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को प्रेषित है । आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा के उच्चीकरण करने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

21–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–1031, दिनांक 29-5-03, सचिव, माध्यमिक शिक्षा को तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं०–70/2001, दिनांक 9-6-01 को जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय बालिका हाई स्कूल, पट्टी एवं देवसरा के उच्चीकरण एवं राजकीय उ० मा० विद्यालय मंगरौरा की स्थापना से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद–प्रतापगढ़ में पट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा को हाईस्कूल से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के लिये उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कार्य पूरा होने पर विचार किया जायेगा । राजकीय उच्चतर मा० विद्यालय मंगरौरा की स्थापना की नीति समाप्त होने और इस हेतु आय-व्ययक में कोई व्यवस्था न होने के कारण सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री ओम प्रकाश तिवारी सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर ब्लाक सिधौली, जनपद सीतापुर द्वारा सहायक अध्यापिकाओं से अश्लील हरकतें करने तथा धन वसूली करने की जांच

22–श्री भारतेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश तिवारी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर, ब्लाक सिधौली, जनपद सीतापुर द्वारा सहायक अध्यापिकाओं से अश्लील हरकतें करने तथा धन वसूली करने की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 27 जनवरी, 03 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त में वर्णित बिन्दुओं की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी नहीं । तथापि प्रश्न में उल्लिखित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच उप बेसिक शिक्षा अधिकारी से करायी गई ।

प्रारम्भिक जांच में शिकायतें निराधार पायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गतवर्ष निरीक्षक संवर्ग के यात्रा बीजकों का भुगतान समय से न करने से धनराशि लैप्स होने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

23–श्री भारतेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 में निरीक्षक संवर्ग के यात्रा बीजकों का भुगतान समय से न करने के कारण रु० 2,70,000 (दो लाख सत्तर हजार) मात्र लैप्स होने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार, शाखा मंत्री, उ० प्र० विद्यालय निरीक्षक संघ, शाखा बाराबंकी का शिकायती पत्र सं० या०भ०वि०/01/2002-2003, दिनांक 5-5-03, शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

किन्तु पत्र सं०–या०भ०वि०/01/02-03 पर दिनांक 5-5-03 के स्थान पर 21-4-03 अंकित है । प्रकरण में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक विद्यालय मिल्कीपुर के भवन निर्माण कराये जाने के आदेश

24–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–''मुन्ना''

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० वि० मिल्कीपुर नं०–2 जनपद शाहजहांपुर के भवन का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/85863/03 दिनांक 26-9-03 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

प्राथमिक विद्यालय मिल्कीपुर नं०–2 जनपद शाहजहांपुर के भवन निर्माण कराये जाने हेतु आदेश दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती बभनान के जूनियर हाई स्कूल के जर्जर भवन की मानक के अनुरूप मरम्मत

25–श्री विजेन्द्र सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 2003 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–10 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त विद्यालय भवन कस्बाई जूनियर हाई स्कूल को मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है तथा उसकी ऊंचाई भी बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम नदैया रामपुर में विद्यालय भवन बनवाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

26–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नदैया रामपुर में विद्यालय भवन बनवाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 13-10-03 को कोई पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या–592 दिनांक 16-10-03 द्वारा उप जिलाधिकारी, तिलहर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के विस्तार एवं विकास के प्रस्ताव का प्रकरण

27–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के विस्तार एवं विकास का प्रस्ताव वर्ष 2003 में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के जिला परिषदीय जूनियर/प्राइमरी स्कूल भरोसा में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराने सम्बन्धी जानकारी

29–श्री सत्य नारायण–

विधान सभा के तृतीय सत्र 2003 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत जिला परिषदीय जूनियर/प्राइमरी स्कूल भरोसा में बाउण्डरी वाल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे कराकर स्टीमेट प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त बाउण्ड्री वाल बनाये जाने हेतु वांछित धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगणन उपलब्ध न होने के कारण ।

जनपद लखीमपुर खीरी के सहायता प्राप्त भगवानदीन आर्य कन्या इण्टर कालेज की छात्राओं से अतिरिक्त अवैध वसूली की शिकायत की जांच

30–श्री संजीव दरियाबादी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित सहायता प्राप्त भगवानदीन आर्य कन्या इण्टर कालेज की छात्राओं से निर्धारित शुल्क दर के अतिरिक्त अवैध शुल्क की वसूली की शिकायत की जांच के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक लखीमपुर को संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल लखनऊ द्वारा दिनांक 26-7-2003 को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वीकृत पद तथा स्थानान्तरण नीति

31–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में अधीक्षक आशुलिपिक, लिपिक, लेखालिपिक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है और उनके विरुद्ध कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इनमें बहुत से अधिकारी/कर्मचारी कई वर्षों से लखनऊ में कार्यरत है ? क्या सरकार द्वारा स्थानान्तरण नीति के तहत ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में स्वीकृत तथा कार्यरत प्रश्नगत कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है :–

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक
अधीक्षक	—	—
आशुलिपिक	01	01
लिपिक (वरिष्ठ/कनिष्ठ)	05	05
लेखा लिपिक	—	—
कम्प्यूटर प्रोग्रामर	—	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	20

जी हां ।

स्थानान्तरण नीति का पालन किया जाएगा ।

आगामी वार्षिक प्रबन्ध में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर ब्लाक बख्शा के ग्राम सभा अटरा के प्राथमिक विद्यालय में नये भवन के निर्माण को पूर्ण कराने एवं इसमें हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग

32–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक बख्शा के ग्राम सभा अटरा के प्राथमिक विद्यालय में नये भवन का निर्माण कराया गया है जो केवल ढांचा के रूप में खड़ा है ? क्या उक्त भवन वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जायेगा । क्या इसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

भवन में प्लास्टर फर्श, खिड़की एवं पल्ले का कार्य शेष है ।

प्रयास किया जाएगा ।

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री सुखदेव राजभर–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद हमीरपुर के जी०आर०वी० इण्टर कालेज के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही विषयक जारी शासनादेश का अनुपालन कराने की मांग

34–श्री लाल बहादुर यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर०ए० प्रसाद, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी शासनादेश संख्या–3375/15-12-2002-1600(429) 2001, दिनांक 16-9-2002 द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी को यह आदेश दिए गए थे कि वे

नियमों के अनुपालन हेतु जी०आर०बी० इण्टर कालेज के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध वेतन वितरण अधिनियम की धारा-6 (3) के अन्तर्गत नियमित प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण कराकर कार्यवाहक प्रधानाचार्य जिनके हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा प्रमाणित किए गए है उन्हें निरस्त करें ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों एवं दोषी प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

कार्यवाहक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर निरस्त नहीं किये गये हैं न ही नियमित प्रधानाचार्य को कार्यभार ग्रहण कराया गया । दोषी प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत छः माह के लिए प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई थी । जिसे प्रबन्धतंत्र की याचिका पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा पहले स्थगित कर दिया तत्पश्चात याचिका को निरस्त कर दिया ।

दोषी प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा 6(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी ।

उपरोक्तानुसार ।

विद्यालय में 16 डी के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को नोटिस का प्रारूप उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी०आर०बी० इण्टर कालेज राठ हमीरपुर के प्रबन्धक के विरुद्ध जांच

35-श्री लाल बहादुर यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दलजीत पुरी, अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी को सम्बोधित अर्द्ध शा०प०सं० सा-1शि०/मा०-3/8350 दिनांक 05-6-2003 एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी के आदेश संख्या-शि०स०/मा०/चि०म०/4310-11, दिनांक 17-10-2003 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर को दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जी०आर०बी० इण्टर कालेज, राठ हमीरपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के आहरण-वितरण हेतु हस्ताक्षर निरस्त करते हुए नियमित प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए दोषी प्रबन्धक के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रकरण की जांच मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी से कराई जा रही है ।

जनपद हरदोई के ग्राम मनकापुर और सैहिलामऊ के मध्य में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक ड्रेन की सफाई कराने की मांग

36-श्रीमती राजरानी रावत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-हरदोई के ग्राम मनकापुर और सैहिलामऊ के मध्य में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक के ड्रेन की सफाई कराये जाने हेतु डी०आर०डी०ए० से धन आवंटन का प्रस्ताव जिला ग्राम विकास अभिकरण हरदोई को दिनांक 6 जून, 1997 को भेजा गया था परन्तु उक्त ड्रेन की सफाई नहीं कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त ड्रेन की सफाई करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ के एम०डी० शुक्ला इण्टर कालेज नादान महल रोड में श्रीमती रेखा देवी दुबे सहायक अध्यापिका की पदोन्नति न करने सम्बन्धी पत्र की जांच

37–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, सदस्य, विधान परिषद का पत्र दिनांक 8-1-2004 जो एम०डी० शुक्ला इण्टर कालेज, नादान महल रोड (नक्खास) लखनऊ में तैनात श्रीमती रेखा देवी दुबे सहायक अध्यापिका (हिन्दी) से कनिष्ठ सहायक अध्यापक श्री राम कृष्ण पाण्डेय की पदोन्नति अनियमित रूप से प्रवक्ता संस्कृत के पद पर किये जाने विषयक शिकायती पत्र प्रमुख सचिव शिक्षा को प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर श्रीमती रेखा देवी दुबे की पदोन्नति प्रवक्ता संस्कृत के पद पर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की गई । श्रीमती रेखा देवी दुबे पद रिक्ति तिथि 1-7-99 को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न रखने के कारण पदोन्नति की पात्र नहीं पायी गयी । अतएव उनकी पदोन्नति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० इलाहाबाद में नियमित श्रमिकों की नियुक्ति का प्रकरण

38–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० इलाहाबाद में नियमित श्रमिकों की नियुक्ति किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन लम्बित है ? यदि हां, तो उस प्रकरण पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रो० वशिष्ठ त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आचार्य, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की अर्हकारी सेवाओं को जोड़ कर पेंशन के निर्धारण तक देयों के भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

39–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रो० वशिष्ठ त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आचार्य, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में की गयी सेवाओं को जोड़कर उनके पेंशन का निर्धारण तथा देयों का भुगतान किया जाना विगत लगभग दो वर्ष से लम्बित है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 62 दिनांक 30 सितम्बर, 2002 तथा पत्रांक 172 दिनांक 19-12-2002 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में प्रो०वशिष्ठ त्रिपाठी सेवानिवृत्त आचार्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 6-11-79 से दिनांक 30-6-2001 तक की अर्हकारी सेवाओं के आधार पर उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 26-7-2002 द्वारा मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी को पेंशन एवं अन्य देयों के भुगतान सम्बन्धी प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिया गया है ।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक जसरा के ग्राम पंचायत मानपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

40–श्रीमती विमला राकेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के अन्तर्गत ब्लाक-जसरा के ग्राम पंचायत मानपुर में जिला पंचायत द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कुल कितने अध्यापक कार्यरत है, और मानक के अनुसार कितने अध्यापक होना चाहिए ? क्या यह सही है कि वर्तमान में कई विषयों के अध्यापक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत संस्था में कार्यरत अध्यापक तथा मानक के अनुसार अध्यापकों की देयता निम्नानुसार है :–

कार्यरत अध्यापक		मानक के अनुसार अध्यापकों की देयता
प्रधानाध्यापक	01	01
सहायक अध्यापक	06	06
विषय विशेषज्ञ	04	—

मात्र वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान (नये पाठ्यक्रम) के अध्यापक नहीं हैं ?

जी हां ।

कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रदान की गयी प्रोन्नति/नियुक्तियां

41–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2003 के मध्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितने विभागों में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रोन्नति/नियुक्तियां प्रदान की गयी है ? इस योजना के अन्तर्गत क्या कुछ विभागों में अर्ह शिक्षकों को प्रोन्नति से वंचित रखा गया है जिसके कारण उनमें रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षकों को न्याय दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत 27 विभागों के शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई तथा चयन समिति ने जिन विभागों के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु अस्वीकृत कर दिया गया, उन्हें महामहिम कुलाधिपति को निर्णयार्थ संदर्भित कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

(12 बजकर 20 मिनट)

(नियम–301 की सूचनायें लिये जाने पर)

गन्ना किसानों की समस्या से सम्बन्धित नियम–311 की सूचना को लिए जाने का आग्रह

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने आग्रह किया है और आपके निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा था । गन्ना किसानों की समस्या को लेकर नियम–311 में नोटिस दिया था और आपने आज लेने के लिये कहा था ।

श्री अध्यक्ष–

यह भी कहा गया था कि पुनः नोटिस दे दें । आज सूचना नहीं आयी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

समय निकाल कर आपको अवसर द दूंगा । नियम–301 हो जाय ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 फरवरी, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल चार सूचनायें प्राप्त हुयी । कुल प्राप्त सूचनाओं में अग्राह्य को छोड़ते हुये शलाका के आधार पर दो सूचनायें स्वीकार की गयीं हैं ।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं ।

जनपद झांसी के मऊ रानीपुर विद्युत उपखण्ड में अतिरिक्त ट्रांसफारमर लगाये जाने के लिए नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रागी लाल अहिरवार–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि मऊरानीपुर नगर जनपद झांसी में विद्युत वितरण की व्यवस्था विगत वर्षों से लगातार खराब हो रही है । आज यह स्थिति हो गयी है कि नगर के आम नागरिक व किसान तथा व्यापारी विद्युत व्यवस्था से त्रस्त है । नगर का सारा व्यापार चौपट हो गया है । बुनकरों में भुखमरी हो गयी है पूर्व में अनेकों बार मांग करने पर अधिकारियों द्वारा मात्र आश्वासन ही मिलता रहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है लेकिन समस्या का हल आज तक नहीं हो सका । इसके सम्बन्ध में मैंने दिनांक 28-8-2002 को नियम 51 के अन्तर्गत व दिनांक 10-12-2003 को नियम–56 के अन्तर्गत लोक महत्व की सूचना देकर सरकार से निवेदन, मान्यवर, आपके माध्यम से, किया था लेकिन आज तक न कोई कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा की गयी न सरकार के माध्यम से कोई वक्तव्य या आश्वासन मिला ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में 5 एम०बी०ए० क्षमता का, अतिरिक्त ट्रांसफारमर लगवाया जाए जिसके लिए विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है । मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि यह जनहित में 5 एम०बी०ए० क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफारमर कब तक लग जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचनायें अस्वीकार की गयी है ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान के समय निर्धारण पर व्यवस्था का प्रश्न

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आज की जो कार्यसूची है उसमें 12.30 बजे वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान निर्धारित हैं । 12.20 बजे तक प्रश्न प्रहर होता है । इसके पहले कार्य स्थगन भी लगा हुआ है । इसके पहले विधेयक भी लगा हुआ है । तो यह सब 12.30 बजे के पहले कैसे सम्भव हो पाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

पहले चलने तो दीजिए जब नहीं हो पाएगा तब देखा जाएगा । पहले से कैसे अनुमान लगा लें ?

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के कतिपय जिलों/मण्डलों को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10-2-2004 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा की हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न पर अपनी बात रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारी संवैधानिक व्यवस्था जो भी है उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो भी होता है उसकी जो भी पुस्तिकाएं दी जाती हैं वह मंत्रिपरिषद् से अनुमोदित होकर आता है । उसमें जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह भी मंत्रिपरिषद् से अनुमोदित होता है । इस अभिभाषण के पैरा–5 में लिखा हुआ है कि हमने जनपदों और मण्डलों को खत्म कर दिया है । जिस समय अभिभाषण तैयार किया गया उसके बाद स्थिति में परिवर्तन हो गया है इसके बाद मा० उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया है और आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है । इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक अवरोध हो गया है । मैं चाहता हूं कि अभिभाषण में इस बात का समावेश किया जाय कि मैंने जनपदों और मण्डलों को खत्म कर दिया लेकिन मा० उच्च न्यायालय द्वारा इसके क्रियान्वयन पर रोक लगी दी गई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और इस अधिसूचना पर स्थगन आदेश दे दिया गया है । अभिभाषण अगर पहले तैयार हो गया होता तो न्यायालय का निर्णय आने के बाद एक मिनट में इसको सरकार संशोधित कर सकती थी और यह शब्द बढ़ा सकती थी कि हमने जिलों और मण्डलों को खत्म कर दिया लेकिन इस बीच मा० उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना पर रोक लगा दी गई और सरकार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई और सरकार ने न्यायालय के आदेश का सम्मान किया है । सरकार ने ऐसा न करके न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक सवाल खड़ा कर दिया है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

* संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

इसमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए । सरकार का सिर्फ यह कहना ही नहीं बल्कि मानना भी है कि न्यायपालिका का स्तर उच्चतम रहे और रूल आफ ला का प्रदेश में ही नहीं देश भर में सम्मान हो और कानून का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अपनी ताकत के नशे में न रहें, कानून का भी ख्याल रखें जिलों और मण्डलों को खत्म करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, मैं इस पर चर्चा करके यह बहस आगे नहीं ले जाऊंगा अगर आपने न्यायालय के आदेश को पढ़ा होता तो आपको स्पष्ट हो जाता । ''जिलों और मण्डलों को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आदेश इतने हफ्तों तक जारी न किया जाए ।'' सरकार छोटी अदालत से लेकर दिल्ली की अदालत का जो भी आदेश होगा उसको मानेगी । उसका सम्मान करेगी और उसके आदेश को लागू भी करेगी । इसमें किसी तरह का विरोध नहीं है । किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर नियम–56 में भी सूचना है । उस समय विस्तार से चर्चा हो जाएगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इसी सदन में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत को ठीक करने के लिए जिलों और मण्डलों को समाप्त किया और एक दूसरी चीज मान्यवर, जो हमने नियम–300 के अन्तर्गत सूचना दी है । महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जिसमें सीधा-सीधा यह कहा गया है कि मण्डलों और जिलों को समाप्त कर रहे हैं । मान्यवर, यह एक तरफ मण्डलों और जिलों को समाप्त कर रहे हैं और जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ निर्देश दिया है यह इनके आदेश के पृष्ठ–4 पर दिया गया है । दैट द इम्प्यूड नोटिफिकेशन्स इश्यूड बाई द स्टेट गवर्नमेन्ट डेटेड 13-1-2004 बी नाट फरदर इम्प्लीमेन्टेड माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के निर्देश के आ जाने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय का इस सदन में यह भाषण करना कि हम कुछ जिलों और मण्डलों को समाप्त कर रहे है और यहां पर विरोधाभास इस बात का कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसके पेज–6 पर लिखा है जिसको महामहिम राज्यपाल ने बोला है–मण्डल और जिलों के समापन से जिस अनुमानित राशि की बचत होगी उस रकम को इन्हीं क्षेत्रों के विकास पर खर्च कर देने की वचनबद्धता है । मान्यवर, एक तरफ जिलों और मण्डलों को समाप्त करने के लिये यह आर्थिक तंगी का बहाना ले रहे है, और दूसरी तरफ प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे है कि इनके समापन से जिस अनुमानित राशि की बचत होगी उससे इन्हीं क्षेत्रों का विकास करेंगे ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहे, शान्त रहे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह इनकी हल्ला बोल की संस्कृति है । इनको पागलपन का दौरा पड़ता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यहां पर एक तरफ वचनबद्धता दोहराई जाती है कि हम न्यायपालिका में आस्था रखते है उसके आदेशों का अनुपालन करते है और दूसरी तरफ यह सार्वजनिक रूप से इस प्रदेश की जनता को जो संदेश जाता है उस पर यह लीपा पोती करने का काम करते है । इसीलिये मैं इस सूचना के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों पर एक सवालिया निशान उठ रहा है और साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया के द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर अपना नजरिया साफ रखना चाहिए । प्रदेश के अन्दर ऐसे क्षेत्र, जो विकास की दृष्टि से पीछे हो गये थे, वरीयता के आधार पर वे जिले बनाये गये थे उसको समाप्त करने की घोषणा की है । यह सरकार का दिवालियापन है । यह जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, इनके विधायक खुद जिले की बहाली की मांग धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे है । गौतमबुद्ध नगर की बहाली के लिये मंत्री जी द्वारा खुद मांग की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–300 के बाहर बात कह रहे है । आप बतायें यह नियम–300 में कहां से आ रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा यहां पर यह घोषणा करने का क्या औचित्य था ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे इस पर व्यवस्था देने दीजिये । मैंने आपकी बात सुन ली है । इस सूचना के पक्ष में माननीय सुखदेव राजभर और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य तथा शासन की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख करना कि सरकार ने 9 जिले और 4 मण्डल समाप्त कर दिये हैं । यह स्वतः में नियम–300 में इस सूचना को आकर्षित करने का आधार नहीं है । [× × ×] अध्यक्ष पीठ से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 79-84 के पृष्ठ–230 के 431 के निर्णय के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण की जो प्रति सदन में रखी जाती है उस पर बहस होती है उसमें दी गयी सामग्री के औचित्य पर नहीं इसलिए इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, मैं इस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य करता हूं ।

सोबरन सिंह यादव जी अनुपस्थित हैं इनकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसको अग्राह्य करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2003 †

* परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–3063/30-4-2003-11(2) 2000, दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2003 को उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, विधान सभा के तृतीय सत्र 2003 में 1977 की धारा–29 के उपबन्धों के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र 2003 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उक्त नियमावली के निर्देश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 के विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2-5747/ग्यारह–9(239) 96-उ०प्र०-अधि०-15-48 आदेश (31) 2002, दि० 13 दिसम्बर, 2002 †††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5747/ग्यारह 9(239)96-उ०प्र० अधि० 15-48 आदेश (31)-2002, दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा–3क की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5772/ग्यारह–7(35) 91-उ०प्र०-अधि०-15-48 नियम 1948-2002-(34) दि० 16 दिसम्बर, 2002 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5772/ग्यारह-7(35)91–उ०प्र० अधि०–15-48 नियम 1948-2002-(34), दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23क(1) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†† छापी नहीं गयी।

††† छापी नहीं गयी।

विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5109/ग्यारह–9(16) 99-उ०प्र०-अधि०-15-48 आदेश (36) 2003, दि० 12 दिसम्बर, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5109/ग्यारह-9(16)-99–उ०प्र० अधि०–15-48 आदेश (36)-2003, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3क की उपधारा–(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5193/ग्यारह-9(16)2003–उ०प्र०अधि०15-48 आदेश (38)-2003 दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-5193/ग्यारह-9(16)2003–उ०प्र० अधि०–15-48 आदेश (38)-2003 दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3 क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-160/ग्यारह-9(2003)92–उ०प्र० अधि०–12-2000 आदेश (2-2004), दिनांक 15 जनवरी, 2004 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–क०नि०-2-160/ग्यारह-9(2003)92–उ०प्र०अधि०–12-2000 आदेश (2-2004), दिनांक 15 जनवरी, 2004 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद सं०–10, 11, 12 और 13 में कुछ नहीं है।

''दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन'' का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।''

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें"?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 के वापस लेने की प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे।"

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है। नगरों में बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया था और विधान परिषद में यह पारित भी हो गया था। किन परिस्थितियों में इसे वापस लेने का प्रस्ताव लाया गया है, इसका औचित्य समझ में नहीं आता। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि किन कारणों से इसे वापस लिया जा रहा है, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी जिस कारण इस विधेयक को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की गयी। संसदीय कार्य मंत्री जी यदि इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते तो इस पर हम लोगों को मद देने या अपनी बात रखने में आसानी होती। इसके जो उद्देश्य और कारण बताये गये थे और जब यह रखा गया था तो इसमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसे रखा गया था कि जो आज नगरीकरण बढ़ रहा है, उसके चलते इसकी आवश्यकता थी कि जनसंख्यां का जो दबाव बढ़ रहा है उसके अनुसार नगरों का समुचित विकास हो सके, विभिन्न आवासों का निर्माण भी हो सके। मैं चाहूंगा कि जिन कारणों से इसे वापस लेने की आवश्यकता पड़ी, यदि संसदीय कार्य मंत्री जी उन पर चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष महोदय, पहले से ही बहुत से कानून इस तरह के हैं और इन्हीं उद्देश्यों को बार-बार दोहराने की आवश्यकता इस विधेयक में आ रही थी। जहां तक आबादी के दबाव का सवाल है, आबादी बढ़ रही है, यह बिल्कुल सही है लेकिन बे-जरूरत एक ही उद्देश्य के लिए मुख्तलिफ दफ्तरों से अलग-अलग सर्टीफिकेट मांगने से करप्शन भी बढ़ता है। मान्यवर, दरअसल यही देखा गया कि जो चीजें नियमों में पहले से मौजूद है अगर कहीं जरूरत होगी तो मामूली संशोधन किये जाने की जरूरत हो सकती है उसका परीक्षण किया जा रहा है। हम इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बहुमंजिली इमारते बनायी जायें। गुजरात और अन्य प्रदेशों में आये जलजलें को देखते हुए यह भी विचार हो रहा है कि ऐसा प्रस्ताव आये कि आइन्दा बनने वाली इमारतों में टेक्नीकली गुंजाइश

रहे कि दैवीय आपदा का मुकाबला किया जा सके । अगर जरूरत होगी तो नया तरीका ईजाद किया जायगा ।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं नियमावली देख रहा था । एक विधेयक सदन में लम्बित है । विधान परिषद् द्वारा पारित हो गया है । अगर यह सदन में लम्बित है और सरकार उससे सहमत नहीं है तो उस पर विचार किया जाय, इससे हमें दोबारा विचार करने का मौका मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

सरकार विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत करती है अगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सदन को विचार करने का अवसर मिलना चाहिए ।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

यह तो अकारण आप कह रहे हैं आप तो संसदीय कार्यमंत्री रह चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संबर्धन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जहां आज पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को और अधिक हिस्सेदारी देने के लिए अधिकार सम्मान देने के लिए उनके ऊपर होने वाले जुल्मी, ज्यादतियों को बन्द करने के लिए पूरा देश चिन्तित है । पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व महिलाओं के साथ उत्पीड़न की होने वाली घटनाओं को लेकर चिन्तित है । महिलाओं की लोकतांत्रिक हिस्सेदारी को लेकर पूरा विश्व चिन्तित है । महिलाओं के ऊपर होने वाले जुल्मों को बन्द करने के लिए इस सदन ने इस आयोग का गठन किया था और यह सरकार भी महिलाओं का सम्मान बनाने की वकालत करती है । वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के सम्बन्ध में उनके ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादती समाप्त करने के लिए जो आयोग बनाया था उसको समाप्त करने के लिए यह अनुज्ञा मांगी जा रही है । मैं यह चाहूंगा कि अनुज्ञा न दी जाय और सरकार को स्वतः इस प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए जिससे महिलाओं के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है । उसको रोका जा सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† दिनांक 26-3-04 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने भारत की महिलाओं और विश्व की महिलाओं की तरफ फिक्रमंदी जाहिर की है । भारत की महिलाओं के संस्कार और हमारी सभ्यता का मानक अलग है और दुनिया का मानक अलग है । पूरी दुनिया ने महिलाओं के ऊपर, भारत के अलावा, बहुत बोझ डाल दिया है । मरद के काम भी और महिलाओं के काम भी उनसे कराये जाते है । अपने देश में अपनी संस्कृति के एतबार से हम तय करते हैं । यह भी तय करते हैं कि जो भी संस्था हो, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो या फिर आयोग हो उसमें महिलाओं के साथ अन्याय न हो । इसमें ऐसी महिलाएं जो वाकई महिलाएं हों, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि वह महिलाओं की समस्याओं को जानती है और हमारे समाज की महिलाएं जो लखनऊ की सड़कों तक नहीं पहुंच पायी हैं, जिन्होंने चमक-दमक नहीं देखी है और वह गांव की पगडण्डी से नहीं निकली है और दूसरी तरफ वह हैं जो पारलर में जाती हैं और अपना चेहरा सुन्दर बनाती थीं ।

श्री अध्यक्ष–

जैसे [× × ×]

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, [× × ×]

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इस शब्द को निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस हिस्से को निकाल दूंगा ।

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, यह उचित नहीं है महिलाओं के साथ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

असली और नकली पर तो बहुत बहस हो सकती है अगर छेड़ा जायेगा । तो मान्यवर, ऐसा आयोग हो जो ठीक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करता हो और आने वाले दिनों में अच्छा काम कर सके इसलिए यह किया गया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, महिलाओं का चित्रण करने का काम किया । असली-नकली की बात आयी । सैफई महोत्सव में बम्बई फिल्म स्टारों को इन्होंने नचाने का काम किया, सहारा इण्डिया में तीन सौ महिलाओं को आगे करके जो काम किया गया तो क्या यह महिलाओं की श्रेणी में नही आता है । यह सारे बिन्दु विचारणीय हैं । इसलिए महिलाओं को इस तरह से अपमानित करने के लिए जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बाते रखी हैं तो यह भारत की महिलाओं का अपमान है । हमारे समाज के वे लोग जो महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं उनको कष्ट होना स्वाभाविक है । जो भारत के संविधान में हमने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है उसके विपरीत यह आचरण किया जा रहा है और उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है । इन्होंने प्रदेश की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है ।

नोटः– [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्योंकि माननीय सदस्य ने सैफई का जिक्र किया है और खुद ही इन्होंने जो बात कही है कि फिल्म जगत की महिलाओं का वहां डांस हुआ और फिल्म जगत की महिलाओं ने वहां पर अपनी कला का प्रदर्शन किया । हमारी इस व्यवस्था में इसकी गुन्जाइश पूरी है लेकिन मैंने जो बात कही थी वह इससे अलग थी, क्योंकि माननीय सदस्य ने उन महिलाओं की तरफ अभी भी नजर नहीं डाली थी, जिन महिलाओं को हमने तस्करा किया था, जिन्होंने गांवों की पगडण्डियों से बाहर चलकर नहीं देखा, हमने उन महिलाओं का जिक्र किया था जो उपेक्षित हैं ।

(व्यवधान)

लेकिन मान्यवर, इनका ध्यान उनकी तरफ कैसे जा सकता है, जो प्रदेश की तीन बार महिला मुख्यमंत्री रही हो और उसके समय में थानों में बलात्कार की रिपोर्ट तक नहीं दर्ज हुयी हो, इसलिए मान्यवर, हमारी सरकार यह चाहती है कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं का विकास हो और इसीलिए ऐसा किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, असली-नकली महिला का भेद करके, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं,

(व्यवधान)

कि मान्यवर, सैफई महोत्सव के नाम पर तीन सौ महिलाओं के साथ [× × ×] होता है और मान्यवर, जिस तरीके से

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जिस तरीके से वहां बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ [×××] होता है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिनका शोषण होता है, उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए असली-नकली कह कर महिलाओं के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, यह सरासर गलत है, यह अन्याय है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त हो जायें और बैठ जायें । किसी भी समस्या का उत्तर किसी भी प्रश्न पर दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, दोनों में आवश्यक नहीं है कि कोई समानता बनती हो, एक दृष्टिकोण आपने रख दिया और एक दृष्टिकोण दूसरे पक्ष ने रख दिया है । प्रश्न मेरे सामने यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति हम न दें ।

(व्यवधान)

नोटः– [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो विधान सभा में शब्द कहा है और इन्होंने बड़ी गम्भीर बात कही है कि सैफई में तीन सौ महिलाओं के साथ [× × ×] हुआ । मान्यवर, इन्होंने जो बात कही है उसके लिए इन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, इनको इसके लिए माफी मांगनी ही चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

इतनी गम्भीर बात इन्होंने कही है, मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस सदन की कुछ गरिमा है, उस गरिमा के अनुसार किसी को भी आजादी है बोलने की, लेकिन अनर्गल प्रलाप में इस तरह की बात कहना घोर आपत्तिजनक है । मैं आपसे मांग करता हूं कि माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी को आप निर्देश दें कि अपनी बात के लिए जो उन्होंने कही है, उसके लिए वह सदन में माफी मांगे ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें ।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

मान्यवर, सदन की अपनी परम्पराएं होती हैं उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं और यह सदन उसी के अनुरूप चलता है । इन्होंने जो कहा है उससे सदन का अपमान हुआ है ।

(घोर व्यवधान)

लघु उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)–

मान्यवर, इन पर लगाम लगायें [x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी [× × ×] आदि के आरोप गम्भीर आरोप होते हैं ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

उन 300 महिलाओं में क्या मायावती भी थीं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय अंचल जी कृपया बैठ जाए ।

माननीय मौर्या जी अपनी बात पर कृपया पुनर्विचार कर लीजिए ।

नोटः– [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो बात मेरे द्वारा कही गयी है उसको तोड़-मरोड़ करके वहां रख रहे हैं।

मैंने कहा था कि जिस दिन सैफई महोत्सव हो रहा था उस दिन मैनपुरी में 300 महिलाओं के साथ दुराचार हुआ था। इसलिए माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी अभिलेख निकाल करके देख लूंगा। अगर कोई आपत्तिजनक बात माननीय मौर्य जी ने कही है तो उसमें माननीय मौर्य जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के साथ परामर्श कर लूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैंने [×××] शब्द का प्रयोग नहीं किया है मैंने दुराचार शब्द कहा, मैं दुराचार अभी भी कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसका समाधान किया जायेगा। मैं अभिलेख निकाल लूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, बात इसलिए ज्यादा गम्भीर है कि नेता बहुजन समाज पार्टी ने कही है जो कुछ घण्टों तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे।

मान्यवर, क्योंकि महिलाओं के सम्बन्ध में यहां पर बात हो रही थी और उनके साथी ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ी बात कह डाली थी। मान्यवर, इस दल के नेता द्वारा ऐसी घटिया, ऐसी निन्दनीय और ऐसी ओछी टिप्पणी किया जाना गलत ही नहीं बल्कि निन्दा करने योग्य है। 300 महिलाओं के साथ सैफई महोत्सव के दौरान [xxx] की बात पूरे सदन में खुलेआम कही गयी है। अब उस बात को आप दूसरे ढंग से जो रख रहे हैं उसका स्वागत है।

मान्यवर, मेरी दरख्वास्त है और मेरा दल इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, इन्होंने अपनी मानसिकता का सबूत दिया है। अपने संस्कारों का सबूत दिया है और महिलाओं के प्रति इनके मन में कितना आदर है इसका सबूत दिया है अगर हम लोग बातें कहना शुरू कर देंगे तो बात बहुत दूर तक निकल जायेगी फिर उसमें सबको कष्ट होगा इसलिए इस बहस को आगे न बढ़ाया जाए। मान्यवर, आपको पूरा अधिकार है जैसा चाहे वह निर्णय ले लें। हम इनसे चाहेंगे कि अपने संस्कारों से इन बातों को निकालने की कोशिश करें महिलाओं का सम्मान करने की कोशिश करें क्योंकि इनके दल में भी एक-आध महिलाएं ऐसी हैं जिनको इनकी यह बातें सुन कर कष्ट हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

(मद संख्या-18 पुकारे जाने पर)

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़ा हुआ गन्ना मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अगर आपकी अनुमति हो तो दो मिनट अपनी बात कह लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक हैं मैंने पहले भी कहा था आपको अवसर दूंगा । आप अपनी बात कह लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस पेराई सत्र में सारे गन्ना किसान की दुर्गति हो रही है और बार-बार यहां पर आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी उसका समाधान नही निकाला जा सका है । इसलिए मैं विनम्रता के साथ इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आज किसान की हालत क्या है साढ़े तीन माह मिलों के चलते हो गये और साढ़े तीन माह गन्ने की पेराई होने के बावजूद आपूर्ति होने के बावजूद प्रदेश सरकार की ओर से एक घोषणा इस बात की नही की गयी कि आखिर गन्ने की क्या दर उनके द्वारा निर्धारित की गयी है । यह मेरे ख्याल से इतिहास में पहला वर्ष है जब किसी प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने के दर की घोषणा आज तक नही की गयी है । इसके बावजूद साढ़े तीन माह से गन्ने की सप्लाई मिलों में की जा रही है । परिणाम यह हुआ कि एक खेत का गन्ना एक मिल में जाता है तो भुगतान किसी और दर पर किया जाता है और उसी खेत का गन्ना किसी और मिल में आपूर्ति किया जाता है तो उसका दूसरी दर पर भुगतान किया जाता है । किसान की गलती नही है किसान के खेत की गलती नही है गलती अगर आती है तो प्रदेश सरकार की आती है । प्रदेश सरकार द्वारा अगर दर निर्धारित की गयी होती तो किसान को यह दिक्कत नही होती और मिलों को यह अधिकार नही होता कि वह अपने विवेक से गन्ने का भुगतान करे । इससे एक दूसरा बिन्दु जुड़ा हुआ है । पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार द्वारा एस०एम०पी० की घोषणा कर दी जाय तो प्रदेश सरकार उसी के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित कर देगी । एस०एम०पी० जब साढ़े 64 रुपये गन्ने की थी तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पेराई सत्र 2001-2002 में माननीय मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह थे तो एस०एम०पी० साढ़े 64 रुपये थी तो उस समय 95 से 100 रुपये की दर किसान को दिलवाई गयी थी और एक एक पैसे का भुगतान भी कराया गया था ।

(टोका-टोकी से व्यवधान)

मेरी बात को सुन लें । इस सदन का लाभ तभी है जब शांति से किसी की बात सुने । अगर कोई बात गलत है, असंसदीय हो तो टोकना । मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख लूं तथ्य रखने के बाद जो आपका जवाब आयेगा वह शिरोधार्य होगा । मैं कहना चाहता हूं कि 2001-2002 में जब एस०एम०पी० साढ़े 64 रुपया थी तो उस समय की सरकार ने 95 से 100 रुपया का भुगतान कराया था आज एस०एम०पी० 73 रुपये है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्लेटफार्म पर नहीं बल्कि विभिन्न प्लेटफार्म पर कई बार यह घोषणा की थी कि गन्ने की दर 110 रुपये होनी चाहिए । साढ़े आठ रुपये एस०एम०पी० बढ़ने के बाद उसी अनुपात में प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की दर बढ़ाकर घोषित कर दिया जायेगा, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कोई घोषणा नही हुयी । इसका परिणाम यह हुआ कि आज स्थिति ऐसी है कि एक मिल 78 रुपये दे रही है, एक मिल 82 रुपये दे रही है और एक मिल 83 रु० दे रही है, कही कोई एकरूपता नहीं है । इस प्रकार प्रदेश सरकार पूरी तरह से अपनी अकर्मण्यता का परिचय

दे रही है । एक चीज और कहना चाहता हूं कि उस वक्त प्रदेश सरकार ने 4 रुपये की छूट की घोषणा की थी लेकिन वह 4 रुपये किसानों को नही मिले, इसकी घोषणा यहां भी की गयी, अखबारों में भी आया, लेकिन आज तक 4 रुपये का नोटीफिकेशन नही हुआ । हमने गन्ना सचिव से बात की, गन्ना आयुक्त से बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने इन्ट्री टैक्स पर रोक लगा रखी है, इसीलिये हम 1.75 पैसे नहीं दे पा रहे हैं । इस प्रकार प्रदेश सरकार ने 4 रुपये की छूट की जो बात की थी यदि उसका नोटिफिकेशन हो गया होता तो मिल वाले 4 रुपये बढ़ाकर किसान को दे दिये होते, लेकिन नोटीफिकेशन न होने की वजह से वह 4 रुपये न तो सरकारी खजाने में जा रहे हैं और न किसान को ही मिल रहे हैं । इस प्रकार मिल वाला फायदेमन्द हो गया । आप यह भी वेरीफाई करा लीजिये कि 2002-2003 के चालू वर्ष में क्या वह 4 रुपये इस सरकार को प्राप्त हुये कि नही, अगर नही हुये तो फिर सीधा-सीधा मिल वाले की जेब में गये । मैं आग्रह करूंगा आप इसे अन्यथा न ले । मैं जानना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लेने बावजूद 4 रुपये किसान को क्यों नही मिल रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि सीधा-सीधा हमारे नौकरशाही के अधिकारी मिल वालें से मिलकर राजनीतिक लोगों को नीचा दिखाने के लिये ऐसा कर रहे हैं । कहीं एक जिलाधिकारी निर्णय ले लेता है, कहीं किसी निर्णय के आधार पर प्लेज कर देते हैं । तीसरा बिन्दु कहना चाहता हूं कि यह करोड़ों किसानों की जीविका का प्रश्न है, इस मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सिंगल जज ने अपना निर्णय दे दिया और आप बड़े आराम से बैठे हैं, वहां से स्टे हो गया और आपने सोच लिया कि हमारी जेब से क्या जाता है । अगर जरा भी संवेदनशीलता रही होती तो आपको उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये था । आज इस निर्णय से सबसे ज्यादा प्रभावित किसान है । आज सुप्रीम कोर्ट में जाने की प्रदेश सरकार को चिन्ता नही है । जो विलम्ब हुआ है, वह तो हुआ ही है, क्या संसदीय कार्य मंत्री जी यह उत्तर देंगे और घोषणा करेगे कि एक हफ्ते के अन्दर सरकार पैरवी करके उस निर्णय को जो एकपक्षीय है और अन्यायपूर्ण निर्णय है, उस निर्णय के विरुद्ध स्टे कराने का प्रयास करेंगे । आज सबसे ज्यादा फायदे में दक्षिण का किसान है, वहां उसको 115 से लेकर 120 रुपये गन्ने का मूल्य मिल रहा है और हमारे यहां जबकि रिकवरी 12 से 13 प्रतिशत है तो 73 रुपये मिल रहा है, कहीं 78 रुपये और कहीं 82 रुपये पर बिका है । एक समय था जब गन्ना किसान के लिये कहा जाता था कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान को मूल्य मिलता है लेकिन आज सबसे ज्यादा शोषित होकर यहां का किसान रह गया है, उसको देखने वाला कोई नहीं है ।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे निरंकुश आज मिल मालिक हो गये है कि अपने विवेक से जो बेसिक कोटा किसानों का है उस पर निर्णय ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गन्ना आयुक्त तानाशाह के रूप में यहां पर बैठ गया हो । किस तरह से मिल मालिकों से मिल कर गन्ना आयुक्त किसानों का शोषण कर रहे हैं, आज मिल मालिक किसानों का बेसिक कोटा कम करके गन्ने की आपूर्ति को बाधित कर रहे है, जिसका अधिकार ही उन्हें नहीं है । चेयरमैन हैं, वह भी मिल मालिकों से साजिश करके ऐसा कर रहे हैं । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे तानाशाह अधिकारी जो गन्ना किसानों की उपेक्षा करते हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करें या न करें लेकिन बेसिक कोटा जो कम किया है उस कोटे में जो पूर्व नीति थी उसी को तय करें । इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर काम करें । किसान पूरे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है अगर वही दबकर रह जायगी तो जो साधन बढ़ाने की बात है वह कहां से बढ़ायेंगे । इन बिन्दुओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार उत्तर दे ।

मद संख्या–19 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

मद सं०–19 के लिए समय साढ़े 12 बजे तक था ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसमें समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें 1.00 बजे तक का समय बढ़ा दिया गया ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, कम से कम एक घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़ा हुआ गन्ना मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह जी के सवाल का जवाब देना चाहेंगे ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, जो कुछ उन्होंने कहा है उसका सरकार ने संज्ञान लिया है । सरकारों की, राजनीतिक दलों की, नेताओं की सबकी अपनी प्राथमिकतायें होती हैं और आज जो सरकार सत्ता में है किसान और किसानों का हित उसकी प्राथमिकता है और यदि वह प्राथमिकता न होती तो सत्ता सम्भालने के तुरन्त बाद किसानों को आठ सौ, साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये के बीच का भुगतान न किया जाता । जो बाते कही गयी है वह सुनने के हद तक तो अच्छी रही है अगर यही बाते हुकुम सिंह जी ने अपने सत्ता में रहते हुए की होती तो साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये किसानों का भुगतान करने की जरूरत नहीं आती । जहां तक अधिकारियों के रवैये की बात कही है, क्योंकि इस विभाग की सीधी समीक्षा माननीय नेता सदन और मुख्य मंत्री करते हैं इसलिए यह मन में नहीं रखना चाहिए कि मुख्य मंत्री के माध्यम से किसी अधिकारी को संरक्षण दिया जा रहा होगा या अधिकारी को तानाशाह बनने की छूट दी जाती हो । जहां-जहां कमियां होती हैं, कुछ शिकायतें मिली है और उस पर खुद नेता जी ने भी सख्त कार्रवाई की है । मैं हुकुम सिंह जी की बात को शत-प्रतिशत नकार नहीं रहा हूं क्योंकि आप पश्चिम के रहने वाले हैं और आप खुद भी किसान है । जहां भी कमी होगी उसे दूर करने का प्रयास किया जायेगा लेकिन अधिकारी को हटाने के सिलसिले में कोई काम चलने वाला नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, केवल इतना चाहता हूं कि क्या आज सरकार गन्ना मूल्य को घोषित करने का कोई आश्वासन देगी ताकि तमाम राज्यों में एक समान मूल्य रह सके ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हुकुम सिंह जी, इसमें आप ज्यादती कर रहे हैं । आपने कह ली, अब मैं जवाब दे रहा हूं । आपको मालूम है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है । केन्द्र सरकार ने जो शर्तें लगायी है उसके रहते हुये यह नीति घोषित नहीं की जा सकती । आप दिल्ली की सरकार में है और आगे आने का सपना देख रहे हैं । आप केन्द्र सरकार से उसकी मंशा साफ कराइये कि वह किसानों के हित में क्या करना चाहती है ? केन्द्र सरकार किसी ऐसे इलाके से राजनीति की शुरूआत करती जहां गन्ना किसानों का कोई हित हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष–

हुकुम सिंह जी, अब समाप्त करिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बहुत विद्वान हैं, हर बात को घुमाने में माहिर हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

केन्द्र सरकार ने 73 रुपये एस०एम०पी० घोषित की है । स्टेट गर्वन्मेन्ट उसकी गारण्टी ले उसके बाद राज्य सरकार का अधिकार नहीं रहेगा कि राज्य सरकार मूल्य घोषित कर सके । राज्य सरकार इस तरह की कोई गारण्टी नहीं दें सकती । पूरे देश में आपने यह संदेश दे दिया कि गन्ना किसानों के साथ उदारता करने वाले है ।

श्री हुकुम सिंह–

अर्थ का अनर्थ न निकाला जाये कि भारत सरकार ने रु० 650/- करोड़ का पैकेज दिया है उसमें यह शर्त है । संसदीय कार्यमंत्री जी समझना नहीं चाह रहे है । मैं यह कह रहा हूं कि एस०एम०पी० में कोई शर्तें नहीं होती हैं । रु० 73/- प्रति क्विंटल घोषित किया है । मैं इतना आश्वासन चाहता हूं कि 73/- एस०एम०पी० के आधार पर क्या आप गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे । जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल एस०एम०पी० की घोषणा की गयी है क्या उसका किसानों को भुगतान सुनिश्चित करायेंगे । दूसरी बात जिस वक्त हमने किसानों को 100 रुपये दिलवाया था चीनी का मूल्य बाजार में 1200 रुपये प्रति क्विंटल था आज 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है । मिल मालिक नोट इकट्ठा कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे है । संसदीय कार्यमंत्री जी आप समझने की कोशिश कीजिए, पैकेज वाली बात को गन्ने से मत जोड़िये । केन्द्र सरकार ने रु० 73/- प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित किया है तो मिल वाले कैसे उसका भुगतान नहीं कर रहे है ? यह आपका दायित्व है । मान्यवर, मैंने कभी मर्यादा तोड़ी नहीं हैं । यह किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है, जब किसान मर रहे हैं तो हम जी कर क्या करेंगे ? अब यह स्थिति आ गयी है कि जो हमने जीवन में नहीं किया है उसे करना पड़ेगा । करोड़ों किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है इसका इतने हल्के-फुल्के तरीके से कह दिया कि आपने शर्त लगा दी । इसलिए मैं चाहता हूं कि सीधे-सीधे उत्तर आना चाहिए । एस०एम०पी० घोषित होने के बाद क्या उसके आधार पर कीमत दिलायेंगे या नहीं दिलायेंगे ? मैं इतना ही जानना चाहता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप मेरी बात तो सुन लें । आप अपनी बात गुस्से से कहेंगे सीमायें लांघ जायेंगे । आप अगर किसान के इतने बड़े हितैषी थे तो आप बतायेंगे कि कितना भुगतान किया है । इस सरकार पर कितना बोझ आप छोड़ कर गये हैं ।

(श्री घनश्याम शुक्ल, श्री बाबू राम एम०काम०, श्री नवाब सिंह नागर, श्री सतीश महाना आदि भाजपा के अनेक सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

(सदस्यों द्वारा अपने आसन पर न जाने एवं नारे लगाते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं।

[व्यवधान के कारण श्री उपाध्यक्ष ने 12 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 50 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 1 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

मद संख्या–19 अनुपूरक अनुदान पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–19 में समय बढ़ाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लायेंगे।

(बी०जे०पी० के सदस्यों के वेल में आकर जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर बैठ जायं। संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव कर रहे हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–19 के लिए आधे घण्टे का समय बढ़ा दिया जाय।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी" के नारे लगाने लगे हुकुम सिंह जी सदन के फ्लोर पर बैठ गये।)

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़े हुए गन्ने का मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हुकुम सिंह जी ने जो सवाल उठाया था उसका जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय खन्ना साहब कृपया अपना आसन ग्रहण कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आप जवाब तो दिलवा दें।

(श्री घनश्याम शुक्ल, श्री राम इकबाल सिंह, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री हुकुम सिंह, श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" तथा श्री नवाब सिंह नागर के साथ भाजपा के अन्य सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बात सुन नहीं रहे हैं। मैं सदन को डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री उपाध्यक्ष ने 01 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 01 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(विपक्ष के अनेकानेक माननीय सदस्यगण सदन के फ्लोर पर बैठे नारे लगा रहे थे)

(व्यवधान के मध्य)

मद संख्या-19-अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या 19 पर समय बढ़ाना है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं मद संख्या-19 पर आधा घण्टा समय बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या-19 दो बजे ले लिया जाएगा।

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़े हुए गन्ने का मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

उपाध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि सदन में बैठे नेताओं से सभी साथियों से कहना चाहूंगा यह ऐसा विवाद है जिसको लेकर कहा जा रहा है और हम भी उससे वंचित नहीं हैं। किसानों के सवाल पर समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के गठबन्धन की सरकार कहीं किसी कीमत पर कोई सौदा नहीं कर सकती है।

श्री हुकुम सिंह (सदन के फ्लोर से)-

माननीय नेता सदन ने जो कहा है तो हम तो आपकी बात सुनना चाहते थे जो बिन्दु उठाया गया है इस पर सरकार का पक्ष आ जाए लेकिन आपके प्रयास के बावजूद नहीं आया इसलिए हमको यहां आना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया आप सभी अपने स्थान पर चले जाएं।

(सभी सदस्यगण सदन के फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गये।)

श्री मुलायम सिंह यादव-

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने माननीय सदस्यों ने गन्ना किसान के भुगतान की बात कहीं, इस सम्बन्ध में संक्षिप्त में दो-तीन बातें रखना चाहता हूं, जो स्थिति है, गन्ना किसानों की पेराई से लेकर अब तक, जहां तक किसानों का सवाल है तो वैसे तो कहीं आलू की समस्या है कभी धान की समस्या थी मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, धान की खेती इस बार जितनी हुई उतनी पहले नहीं हुई। फिर भी किसानों की समस्या है। किसानों की समस्या का हल करने के लिए मुझे खुशी है कि आप भी चिन्तित हैं हम तो पहले से चिन्तित हैं गन्ना किसानों के लिए सरकार चिन्तित है। गन्ना मूल्य 2002-2003 में 4,994 करोड़ रु० में से 4,983 करोड़ रु० भुगतान किया गया है केवल 11 करोड़ रुपया शेष है खलीलाबाद/अगौली/अघोटा, कप्तानगंज, नरौली का भुगतान देंगे, कोशिश करेंगे, अभी 11 करोड़ रुपया शेष है। यह 1100 करोड़ रुपया भी भुगतान हो जाए। चीनी निगम, सरकारी चीनी निगम में जितना भी है, उनका पूरा का पूरा जो हमने वादा किया था, वह भुगतान किया गया है और जो वर्तमान पेराई सत्र है, 1100 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है जबकि पिछले

वर्ष इसी अवधि में 650 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया था । इस वर्ष चीनी निगम की चीनी मिलों द्वारा सख्ती के कारण 100 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में केवल 7 करोड़ का भुगतान किया गया था । हम विस्तार में नहीं जाते हैं, कहीं गलती हुई भी होगी, आप ज्यादा अपने इलाके में जाते है, हम भी चीनी नीति और गन्ना नीति पढ़े हैं, इसके लिए संघर्ष भी किया है । हम एक हफ्ते में घोषित करेंगे जिससे किसी भी किसान का गन्ना खेत में खड़ा न रह जाए और समय से पेराई हो जाए । जहां तक सवाल है 73 रुपये और एकरूपता का इससे आप भी चिन्तित है और हम भी चिन्तित है । कई बार केन्द्र सरकार से नाम नहीं बताना चाहता हूं, जिम्मेदार पदों पर बैठे, उच्च पदों पर बैठे लोगों से बात कर चुके है । अब दिक्कत है केन्द्र सरकार और निजी क्षेत्र इन दोनों ने मिलकर 73 रुपये मूल्य तय किया और फिर निजी क्षेत्र के चीनी मिल मालिकों ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे ले लिया । यह तो केन्द्र सरकार के साथ धोखाधड़ी की है निजी क्षेत्र के चीनी मिल मालिकों ने । जो स्टे है उसको वैकेट कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, दिल्ली सरकार को । मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । आपकी सरकार है, हुकुम सिंह जी आप भी बात करें, मैं भी बात करूंगा, वहां एटार्नी जनरल बैठे हैं क्यों नहीं स्टे खत्म होता ? यदि स्टे खत्म हो जाए तो जो आप चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत आने नहीं पायेगी । अगर स्टे है तो इसे हल करने के लिए आप और हम बैठकर तय कर लें, जब हमारी एक ही राय है, तो हम बैठकर रास्ता निकालें । एक शर्त लगायी गयी है कि राज्य सरकार कभी भी गन्ना मूल्य तय नहीं करेगी, यह लिखकर दे दो । हम प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, उप प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं, आप भी बात कर लें । 450 करोड़ रुपया अनुदान नहीं मिल रहा है, यह ब्याज पर हमें कर्जा मिल रहा है लेकिन छूट केवल इतनी है कि हम इसे 3 साल में भुगतान करेंगे । यह कहा जा रहा है कि किसानों का गन्ना मूल्य प्रदेश सरकार तय नहीं करेगी यह आप लिख कर दे दो । आप लिखकर दे दें कि कभी भी राज्य सरकार गन्ना कीमत तय नहीं करेगी । हम 487 करोड़ रुपये मांग रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व है । उसका जो फैसला आएगा वह हमें मानना पड़ेगा । हम पैरवी कर रहे हैं कि राज्य सरकार से यह न लिया जाय । वहां यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार कभी भी गन्ना किसानों का मूल्य तय नहीं करेगी । अगर नेता विरोधी दल बाजपेयी जी श्री हुकुम सिंह जी सदन में लिखकर दे दें कि कभी भी गन्ने का मूल्य तय नहीं करेंगे । हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते । कोर्ट में मामला है अगर हमारे आपके साथ बैठने से रास्ता निकल सकता है तो हम रास्ता निकालने के लिए तैयार है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने जो बिन्दु उठाये थे अगर उन बिन्दुओं के ऊपर थोड़ा-बहुत भी कह दिया होता तो हम संतुष्ट हो जाते । बिन्दु संख्या–1 जो रखी थी यह 2001-02 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और श्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उन्होंने 95-100 रुपये का रेट दिलाया था । जो अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को तब थे, वह अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को आज भी है । जब उस समय एस०एल०पी० 64 रुपये थी तो 95-100 रुपये मूल्य दिलाया गया तब चीनी 1200 रुपये कुन्तल थी । आज जब 1600 रुपये कुन्तल है और एस०एल०पी० 73 रुपये है तो गन्ना मूल्य 109 रुपये प्रति कुन्तल मूल्य दिलाने के लिए क्या प्रदेश सरकार इतनी कमजोर है कि वह चीनी मिल मालिकों पर दबाव नहीं बना सकती ? जिस स्टे का बहाना बनाकर सरकार किसानों को उचित गन्ना मूल्य से वंचित कर रही है अगर प्रदेश सरकार चाहे तो मिल वालों के साथ बैठकर उनके साथ समझौता किया जा सकता है । अगर आप पिछले 4 महीनों में प्रयास करते, उस पर दबाव बनाते तो किसी मिल मालिक की हिम्मत नहीं होती कि वह किसानों का शोषण करें । आपने कहा कि केन्द्र सरकार पर दबाव बनायें । केन्द्र सरकार ने एकदम 9 रुपये बढ़ाया । हम चाहते थे कि 100 में 9 रुपये बढ़ाकर आप 100 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य दिलाते । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके चीनी मिल

मालिकों पर दबाव बनाये और गन्ना मूल्य 109 रुपये दिलवाये यह घोषणा आज मुख्यमंत्री जी यहां पर करें । हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान से बिलकुल संतुष्ट नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की बिलकुल परवाह नहीं की है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हुकुम सिंह जी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और दो बार यहां पर बैठ गये हैं तो यह ठीक नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

अगर यही रहा तो जिन किसानों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उनके हितों की रक्षा नहीं कर पायेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार ने 73/- रुपये एस०एल०पी० घोषित कर दी है उसके आधार पर क्यों नहीं आप करने जा रहे हैं ? जो दिल्ली उच्च न्यायालय का बहाना लिया गया है उसको वैकेट करने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जब पिछली बार सदन समाप्त हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 95 से 100/- रुपये पर पर्ची पड़ेगी । जब एस०एल०पी० घोषित कर दी गयी है तो क्यों नहीं किया जा रहा है ? एस०एल०पी० घोषित करने और दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आ जाने के बीच यह प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गयी ? मुझे तो यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है । यह घोषित न करने में इनका षडयन्त्र है । यह मिल मालिकों से मिलकर साजिश की गयी है । उनको फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है जो सर्वथा अनुचित है और इसे इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत को भुगतना पड़ेगा । इस पर मैं आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहता हूं । अगर यह विधान सभा में घोषणा नहीं करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि यह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पायेंगे । मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम यह चाहते हैं कि अच्छे स्तर की बहस हो । माननीय हुकुम सिंह जी और बाजपेयी जी कह रहे थे कि हम मिल मालिकों से मिले हुए हैं, हम ज्यादा सफाई नहीं देना चाहते हैं लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी नहीं हुए हैं । एक रुपया भी कभी हमने नहीं लिया । अगर लिया है तो वह हमें सिद्ध करके दिखायें । हमने तो ठोकर मार दी थी इस सत्ता को । 1997 के चुनाव इस बात के गवाह हैं । आज नरेन्द्र मोहन जी नहीं हैं हमने ठोकर मार दी थी । हम पर यह आरोप न लगाया जाय । मैं यह कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र के चीनी मिल मालिकों की मांग है कि राज्य सरकार मूल्य तय न करे और यह कोर्ट में लड़ाई छिड़ी हुई है । आप केन्द्र सरकार पर क्यों नहीं दबाव डालते हैं ? इस तरह से मिथ्या और निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए । जनता निर्णय करेगी यह माननीय बाजपेयी जी ने कहा और यह कहा कि इसके नतीजे आयेंगे तो इसके नतीजे आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आयेंगे । हमने वह दिन भी देखे हैं । अगर यह बहस छिड़ेगी तो अच्छा वातावरण नहीं बनेगा । हम चाहते हैं कि इस पर बैठक कर विचार हो जाये, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय हुकुम सिंह बैठें वह एक रास्ता और बता देंगे, हम भी उनकी बात रखेंगे । हम दिल्ली सरकार पर सारे आरोप-प्रत्यारोप लगाने के पक्षधर नहीं हैं, हम लोग मिलकर बातचीत कर सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, अगर आप चाहें तो इसी चैम्बर में बैठकर इस पर विचार कर लें । जहां तक मूल्य दिलाने की बात है तो यह कोई मामूली बात है केवल ग्यारह सौ करोड़ रुपये बचे हैं, अगर सरकार मिल मालिकों के खिलाफ सख्त नहीं है तो कैसे वसूल लिए ? हमने सख्ती की और जरूरत पड़ने पर मिल मालिकों को बन्द भी किया और आपके खलीलाबाद वाले मिल मालिक को भी बन्द किया, लेकिन इस

बात की ओर ध्यान भी देना होगा कि क्या सारे उद्योगपतियों को भगाना उचित है ? यह सरकार पैसा लेने वाली सरकार नहीं है, चाहे चुनाव हार जायें लेकिन यह सरकार किसानों के हितों के विरुद्ध किसी से पैसा लेने वाली सरकार नहीं है । आप सारी बातें कह सकते हैं लेकिन यह बात आप नहीं कह सकते हैं कि इस सरकार ने किसानों के हितों के खिलाफ मिल मालिकों से पैसा लिया है । अगर हम किसानों के विरोधी हैं तो नहरों की टेल तक सफाई कैसे हो गयी ? किसानों को 150 रुपये पेन्शन का भुगतान हो रहा है और 15-20 दिन के अन्दर हम करोड़ों रुपये बंटवा देंगे । आज तक इस आजाद हिन्दुस्तान में यह कभी नहीं हुआ, इसलिए इस तरह के आप आरोप न लगायें । लेने-देने का काम हमारे यहां नहीं होता है, अगर लेन-देन की बात हमारी सरकार ने की होती तो हमारी सरकार कई बार गिरी नहीं होती बल्कि चलती रहती ।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि आज जो गन्ना किसानों का मालिक खरीद रहे हैं उनका मूल्य क्या दिया जा रहा है ? कोई मूल्य पर्चा में डाल नहीं रहे हैं ? पर्चे में लिखा नहीं जा रहा है कि आपका गन्ना किस भाव से खरीदा जा रहा है ? मैं यह आरोप नहीं लगाता कि आपके द्वारा जो किया गया उसमें कोई बुरा उद्देश्य है, लेकिन यह कहीं न कहीं तो है कि सरकार में आने के बाद आपने कहा कि एक हफ्ते के अन्दर हम गन्ने का मूल्य दिलवा देंगे । छः महीने हो गये लेकिन गन्ने का मूल्य अभी तक नहीं तय हो पाया । सरकार का इकबाल क्या है ? यह हम नहीं जानते । हम यह नहीं चाहते कि यह सरकार किसानों का खून चूसे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं फिर बता दूं शायद माननीय नेता प्रतिपक्ष समझ नहीं पाये हैं, केवल ग्यारह सौ करोड़ रुपये पिछली सरकार का निजी क्षेत्र का रह गया है, बाकी सारा भुगतान हमने करा दिया है ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, कितना दे दिया गया ? कितना रह गया ? कितना गन्ना पेरा गया है ? मैं यह नहीं पूछ रहा हूं, मैं यह पूछ रहा हूं कि गन्ना किसानों को जो मूल्य मिल मालिक दे रहे हैं वह डाला जा रहा है और अगर डाला जा रहा है तो ठीक है । हम जानते हैं कि आपका कोई बुरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि मिल मालिकों पर सरकार का सारा खौफ खत्म हो गया ? जो कभी सरकार के बुलाने पर दो-दो, तीन-तीन दिन वहां पड़े रहते थे, बैठकें करते थे, लेकिन आज वह यहां पर आने में आना-कानी करते हैं । हमारे भी दल की सरकारें रही हैं और गन्ना किसानों को मूल्य बढ़ाकर मिल मालिकों से दिलवाया गया है । अब क्या हो गया है ? अब इन मिल मालिकों के ऊपर आपका कन्ट्रोल कम क्यों हो रहा है ? हम चाहते हैं कि यहां के उद्योग पनपे । चीनी का यहां बड़ा उद्योग हैं हम उसे खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतनी छूट हो जाये कि कोई चीज वह मानने को तैयार नहीं हैं । भारत सरकार से इसमें क्या लेना-देना । अगर वे कोर्ट में गये हैं तो राज्य को अपना हित देखना है किसानों का हित देखना है वह हमारा काम है । आज वहां से बड़े से बड़े वकील छोटे-छोटे मामलों में खड़े हो जाते हैं तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह तो दिल्ली की सरकार करेगी । अभी यहां माननीय नेता विरोधी दल नहीं थे । दिल्ली की सरकार को धोखा दिया गया है । राज्य सरकार को अलग करके, निजी मिल मालिकों और भारत सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने बैठकर तय कर लिया । अब उससे वह बदल गये हैं । अब समझौता करने के बाद हाईकोर्ट चले गये है तो उन्होंने दिल्ली की सरकार को धोखा दे दिया । दिल्ली की सरकार आज उन्हीं पर हमें लिखने के लिए क्यों कह रही है कि कीमत तय करें ? तो यह सारी बातें आ गयी हैं उसमें विपक्ष के लोग लिख कर देंगे कि गन्ना किसानों का मूल्य हम नहीं तय करेंगे ? जो वहां से शर्तें आयीं हैं वह पत्र मैं आपको दे दूंगा इसमें हम आप मिल-जुल कर बात करेंगे । माननीय नेता विरोधी दल आपके पद की गरिमा को ध्यान में रख कर ही मैं यह बातें कह रहा हूं और मदद कर रहा हूं ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं आपकी बातें मानता हूं । पहली बार भारत सरकार ने एस०एल०पी० के मामले में रिकार्ड तोड़ दिया । बढ़ाने के बाद एस०एल०पी० पर झगड़ा नहीं है, वह तो पैकेज पर झगड़ा है । अब अगर कोई कह दे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे ? मैं तो आप लोगों की बातों को दोहरा रहा हूं । आपके सहयोगी दल के एक नेता ने तो यहां तक कहा था कि हम 110 और 115 रूपये मूल्य दिलायेंगे आज क्यों नहीं दिला पा रहे हैं ? कोई नैतिकता है कि नहीं । आखिर इन गन्ना किसानों को हम ऐसे ही किसी की मर्शी पर छोड़ दिया जाए । मिल मालिक जैसा चाह रहे हैं वैसा करेंगे । अगर ऐसी स्थिति आ आयेगी कि सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है । मैं नहीं समझता हूं कि सरकार इतनी कमजोर हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय दो बज रहे हैं अब वित्तीय वर्ष 2002-03 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लिया जाना है मैं अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा को समाप्त करें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर काफी विस्तार से जानकारी दे दी है ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं एक ही बिन्दु पर सरकार से जवाब चाहता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं । हम बैठ लेंगे ।

श्री लालजी टण्डन–

अगर बैठ कर रास्ता निकाल सकते हैं तो उसे निकालें । नहीं तो प्रदेश एक बड़ी गम्भीर कानून-व्यवस्था की विषम स्थित पर खड़ा होने जा रहा है । आप किसानों को मदद देने के बजाए अरबों रुपया इस प्रदेश को जलने से बचाने में लगा देंगे । अगर आपको गन्ना किसानों के लिए कुछ करना है तो वह आप करें ।

अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–19 पर समय समाप्त हो गया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी या तो आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं 5 मिनट और समय बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है 5 मिनट समय बढ़ा दिया गया।

प्रदेश में गन्ना किसानों को बढ़े हुये गन्ने का मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूं कि हर सरकार ने 4 रुपये की छूट मिल मालिकों को इसलिए दी कि उसका फायदा किसानों को पहुंच सकें। आपका बयान आया अखबारों में भी आया। जब पता लगा कि एन्टी टैक्स पर रोक लगा दी 1.75 की छूट देंगे वह भी सुप्रीमकोर्ट ने करा है तो वह 4 रुपया सरकारी खजानें में जमा हो या सोसाइटी के कमीशन में जाय लेकिन वह 4 रुपया मिल वालों की जेब में जा रहा है न उन्होंने पिछले साल जमा किया और न इस साल जमा किया है, न किसानों को दिया न आपको दिया जब आपने 4 रुपया छूट दी तो 4 रुपया किसानों को मिल जाता।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

(बैठे हुए) हम देख लेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

अगर कहना है तो खड़े होकर कह दें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मिल वाले अपने डिक्टेटरशिप से किसानों का बेसिक कोटा कम करने में लगे हुए है। गन्ना आयुक्त बैठे हुए हैं मैं कह रहा हूं कि बेसिक कोटा कम नहीं होना चाहिए। किसान भी इनसे मिले लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया। कल भी लोग मिले थे तो उनसे पुत्कार कर बात की और कहा कि बेसिक कोटा कम नहीं होगा तो क्यों नहीं कम होगा मिलवालों में क्या दिक्कत आ गयी ? मान्यवर, मैं केवल इतना आश्वासन चाहता हूं कि एस०एल०पी० की दर पर गन्ना किसानों का भुगतान करायेंगे, 4 रुपये जो छूट है वह दिलवायेंगे बेसिक कोटा कम नहीं होगा यह तीन बात कह दें इसके लिए कुछ भी समाधान निकले।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा आग्रह यह है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया है कि नेता विरोधीदल, उप नेता हुकुम सिंह जी और भी जितने सम्मानित नेता हैं यह जो अनुदान है उसके बाद तुरन्त बैठ लें और बैठकर मुख्य मंत्री से बात कर हल निकाल ले तो इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मैंने तीन बिन्दु कहें हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वह आपसे बात करने को तैयार है तो आप बात कर लें स्पीकर के चेम्बर में।

श्री हुकुम सिंह–

जब ट्रक का मामला आयेगा तो आपसे बात कर लेंगे।

मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, एक आयुक्त साहब के बारे में बात कही गयी तो जो कोटा की बात है उसको तो हम आप बात कर लेंगे वह सुन रहे होंगे तो बात कर लेंगे। 4 रुपया जो है वह किसान को भुगतान पर नहीं

पड़ेगा, गलती होगी मगर कई चीनी मिले हैं जहां गलती नहीं हो रही है यह मेरे पास है और बाकी के लिए एस०एल०पी० के लिए बातचीत करके रास्ता निकाल सकते हैं।

कार्य-स्थगन का प्रस्ताव :

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव में आज नियम 56 के अन्तर्गत 311 की .....

बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री सत्य नारायण द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

* श्री सत्य नारायण–

मान्यवर, मेरा एक मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज मैं अपनी पर्सनल बात कहने जा रहा हूं। मुझे बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुनकर आये हुए लगभग ढाई तीन साल हो गये, माफ करना 2 साल हो गये। यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाय तो माफ कीजियेगा। मैं नया सदस्य हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत तपस्या की थी कि मैं अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कराकर अपनी जनता के सामने जाने के लायक हो जाऊं, लेकिन पिछले 2 साल की सरकार में मैंने कई पत्र शासन को लिखे, अपने क्षेत्र में विकास के लिए लेकिन मेरे क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया, इसलिये जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षायें होती हैं, क्षेत्र की जनता मुझसे पूछती है, हमसे इस बारे में कहती रहती है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में विकास नहीं करा पाया, इसलिए मैं आज एक नया फैसला लेकर सदन में पेश हो रहा हूं। मैं आज इस कारण अपनी विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार किया जाय, मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–19 के लिये समय और बढ़ाइये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इन माननीय सदस्य को, जिन्हें पिछले 2 साल के कार्यकाल के कारण, जिसमें वह चुनकर आये और कोई विकास कार्य नहीं करा सके, केवल पार्टी से ही इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि विधान सभा से भी इस्तीफा दे दिया। आज यह एक बड़ा गम्भीर विषय बन गया है और सोचने का विषय बन गया है, स्वीकार तो इसे आप कर ही लेंगे। लेकिन यह एक सबक है, सभी सदस्यों के लिये और यह मौका भी है, अपने जमीर से खुद सवाल करने का, उन लोगों को भी मौका है, अपने गिरेबान में मुंह डालकर झांकने का कि उन्होंने गुजरे हुये दिनों में क्या किया है ? तब आज यह समस्यायें शैतान की तरह नंगी होकर नाचने का काम कर रही हैं, मैं इसी के साथ प्रस्ताव करता हूं कि 5 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मद संख्या–19 से सम्बन्धित अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

(इस बीच श्री सत्य नारायण, माननीय सदस्य अपना इस्तीफा श्री उपाध्यक्ष जी को सौंपकर सदन से बाहर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव है, कृपया और समय बढ़वा लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, परिषद् में भी जाना है, समय कम है और इसलिये समय ज्यादा न बढ़ाइये, मजबूरी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सत्य नारायण जी को हरदोई के एक वरिष्ठ मंत्री ने 3 महीने पहले ही मंत्री बनाने का लालच देकर तोड़ लिया था, इसलिये यह न इधर के हैं, न उधर के ।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष की ओर से टोकाटाकी–व्यवधान)

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 10 फरवरी, 2004 को नियम–311 में प्राप्त 3 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुयी जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री राम इकबाल सिंह, श्री दयाशंकर वर्मा तथा श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा की है और दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री धर्मराज निषाद, श्री सुखदेव राजभर, श्री जयराम विमल, श्री नवाब सिंह नागर तथा श्री घनश्याम शुक्ला की है पहली सूचना में केवल एक लोग बोलेंगे ।

मद संख्या–19 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान का निर्धारित समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य-मंत्री ने पांच मिनट का समय बढ़ाया है, कृपया उसे आधा घण्टा बढ़वा लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य स्थगन के बाद मद संख्या–19 आयेगा इसलिए कृपया आधे घण्टे का समय बढ़ा दीजिये ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधे घण्टे का समय बढ़ा दिया जाय । मैं चाहता हूं कि मद संख्या–19 पहले ले लें क्योंकि अभी परिषद् में जाना है और समय की कमी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

तब फिर कार्य स्थगन का औचित्य क्या रह जायेगा ?

इसमें आधे घण्टे का समय बढ़ा दिया गया ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम–56 के अन्तर्गत आज प्रदेश में जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़े हैं, हत्या, डकैती, अपहरण और फिरौती की घटनायें बेशुमार बढ़ी हैं और झूठ का नारा देने वाले साथी हैं उनको यह बात मालूम होनी चाहिए कि अपराध जब बढ़ेगा तब उसका शिकार आप भी होंगे और हम भी होंगे । मान्यवर, यह कितना सोचनीय बिन्दु है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के भतीजे का अपहरण हुआ, यही नहीं देश के प्रधानमंत्री के नाती को भी हत्या करके ट्रेन से फेंक दिया गया । मुख्य मंत्री के भतीजे का अपहरण जिस दिन हुआ उसके ठीक दूसरे दिन इटावा में ही एक दिन में 12-12 अपहरण की घटनायें होती हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज यह गम्भीर विषय बन गया है । समाजवादी पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, आज समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी सुरक्षा नहीं है । अभी जालौन में जिस तरह से सपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उससे कानून-व्यवस्था की स्थिति जगजाहिर होती है । यही नहीं बनारस में सभासद जो सपा का कार्यकर्ता था उसकी हत्या हो गयी, गोण्डा में एक सपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गयी । मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी की सरकार है जब वह सरकार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, माननीय मुख्य मंत्री के भतीजे का अपहरण हो रहा है, प्रधानमंत्री के नाती की हत्या हो रही है, इन सबसे इस प्रकरण की गम्भीरता नजर आती है, आज भी कन्नौज में चार महिलाओं की हत्या हो गयी, यद्यपि उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, कल ओ०सी०आर० में एक लड़की की हत्या करके उसे ऊपर से फेक दिया गया और उसे भी आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है ।

मान्यवर, यहां तक कि पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है । सुश्री बहन मायावती जी की सुरक्षा में लगा गनर मुंशी लाल की हत्या करके कारबाइन छीन ली । बनारस में भी एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गयी ।

श्री उपाध्यक्ष–

दो मिनट में आप समाप्त करिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस मामले की गम्भीरता को देखते हुये अगर ये बातें नहीं आती हैं तो स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या मतलब ? मैं आपके माध्यम से बहुत ही कम समय में मुख्य बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी गम्भीरता को लेते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का काम करें । क्योंकि आम जनता भयभीत है और दहशत में जी रही है । मान्यवर, इसी तरह से लखीमपुर खीरी में मजदूरों की सामूहिक हत्या हो जाती है । आप दूर न जाईये, इसी लखनऊ में मात्र एक महीने के अन्दर गोसाईगंज के सुरियामऊ में, मलिहाबाद में किसान की हत्या हो जाती है । चिनहट में एक पूर्व आकाशवाणी कर्मचारी एवं एक पुजारी की हत्या हो जाती है । नाका, कैसरबाग में सामूहिक लूट का काण्ड हो जाता है । थाना चौक में टैक्सी-टैम्पो यूनियन के अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, मुंशी लाल गनर की हत्या हो जाती है । एक पूर्व मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री धर्मपाल सिंह जी के लड़के का अपहरण हो गया लेकिन उसका कोई सुराग आज तक नहीं मिला । मान्यवर, इसी

तरह से, इसी लखनऊ में एक रेलकर्मी के बेटे की हत्या हो जाती है, सिस्सा के महाप्रबन्धक की पत्नी की हत्या हो जाती है । इसी महीने मोहनलालगंज कोतवाली में यू०पी० स्टेट एम्प्रो के महामंत्री नन्द किशोर की हत्या हो जाती है, गोसाईगंज में सुभाष रैदास की हत्या हो जाती है, इसी तरह से अरूणवीर उर्फ छोटू की हत्या हो जाती है । निगोहा में गुरूप्रसाद की हत्या हो जाती है, रोहित उर्फ मोनू का अपहरण हो जाता है । वे सब लखनऊ जिले में हुआ है । .....

श्री उपाध्यक्ष–

मौर्य जी, अब आप समाप्त करिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

शिया डिग्री कालेज के पूर्व अध्यक्ष श्री अमित जायसवाल उर्फ श्रवण की हत्या भी लखनऊ में कर दी गयी । सरकार कहती है कि व्यापारी बहुत खुश है क्योंकि हम व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं ॥ परसों विधान सभा के सामने व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया । .....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, अब बैठ जाईये, कुछ लिखा नहीं जा रहा है ॥

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष–

अब बैठ जाइये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, यह तरीका ठीक नहीं है । यह आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं ॥ अब बैठ जाइये ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अगर कुछ कहना चाहते हों तो कहें ॥

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मुझे एक मिनट का समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय मौर्या जी को सुन लिया है अब भाजपा के सदस्य बोलेंगे ॥

* श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, जो हमने नियम–311 में नोटिस दिया है उस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । महोदय, आज जो उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति है वह अत्यन्त जर्जर है । हम सबको इस पर मिलकर इस सदन में विचार करना चाहिए ॥ संयोग

[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मुख्य मंत्री जी तक सच्चाई नहीं पहुंच रही है। मैं नहीं कहना चाहता कि माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि कानून-व्यवस्था मुकम्मिल न हो लेकिन प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं और जगह-जगह पर जो राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है उसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। इसी कारण से प्रधानमंत्री जी, के पौत्र की ट्रेन से फेंक करके हत्या कर दी गयी और मुख्य मंत्री जी के भतीजे का अपहरण हो गया। धर्मपाल जी विधायक हैं उनका लड़का स्कूल पढ़ने गया था लौटा नहीं। आज माताएं जब अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो यह सोचती हैं कि उनका बच्चा स्कूल से लौटेगा कि नहीं। अभी पिछले दिनों एक 10 वर्ष का बच्चा स्कूल गया और स्कूल से जब नहीं लौटा तो उस सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाने थाने में उसके घर के लोग गये लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। एक हफ्ते के बाद उसकी लाश मिली। इसी तरह से बलिया जनपद में सहारा परिवार के तीन अधिकारियों की हत्या कर दी गयी। लेकिन एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया है। भाजपा के प्रेम चौहान, रामनाथ सिंह, अवर अभियन्ता और पंचानन सिंह की हत्या कर दी गयी लेकिन एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आप इसका संज्ञान लें और ग्रास रूट में जाकर पता करिये कि ऐसे लोगों को संरक्षण कहां से मिल रहा है ?

आगरा में हरिद्वार दुबे के घर पर 300 चक्र गोलियां चली वह पूर्व मंत्री और सदस्य रह चुके हैं। उनके लड़के का सीना गोली चीर गयी। विधायकों की सुरक्षा नहीं है। थाने में अगर कोई फरियाद लेकर जाता है तो वहां पर भी हत्याएं हो रही है इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। आज हमें इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज आतंक फैला हुआ है, आज लूट, हत्याएं, राहजनी, बलात्कार हो रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज मनुष्यों और बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। जिस प्रकार से पहले काश्मीर में आतंक का राज था वहां की धरती लहूलुहान हुआ करती थी उसी प्रकार से प्रदेश की स्थिति है। आज अपहरण मुख्य उद्योग हो गया है। सरकार आतंकवादियों पर अंकुश लगाने में अक्षम हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी एक न्याय प्रिय व्यवस्था देना चाहते हैं। आप एक वातावरण चाहते हैं लेकिन नीचे के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं ? और जो केस होते हैं उनमें आपके लोगों से पूछ कर कार्यवाही करते हैं इसी कारण से बलिया जनपद में जो 6 हत्याएं हुई हैं उनमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई हैं। कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे पर हम सबको सहमत होकर उत्तर प्रदेश को एक मजबूत दिशा देने का प्रयास करना चाहिए अगर कानून-व्यवस्था बिगड़ती चली गयी तो राज्य में उद्योग कौन लगायेगा ? मुख्य मंत्री जी स्वप्न देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान के उद्योगपति आयेंगे और उद्योग लगायेंगे वह पूरा होने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से अपहरण, हत्याएं, लूट होती रही तो कहीं उद्योग नहीं लग पायेंगे। विधायक कैसे ट्रेनों में सफर कर पायेंगे ? विधायक जब ट्रेनों में सफर करते हैं तो उनके गनर सेकेण्ड क्लास में सफर करते हैं जो मजबूत एम०एल०ए० हैं वह ए०सी० में बैठा लेते हैं। आज ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। इसलिए कानून-व्यवस्था को सबसे पहले सुधारने की आवश्यकता है। अपराधी किसी भी पार्टी का हो जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक अपराध रुकेंगे नहीं। अमन का वातावरण प्रदेश में बनेगा नहीं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। [illegible] के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी कानून-व्यवस्था को लेकर माननीय सदन के सदस्यों ने जो सवाल उठाया है हमने कभी भी सच्चाई को छिपाया नहीं है। हम विस्तार से ज्यादा सफाई नहीं देना चाहते हैं लेकिन कानून-व्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। अभी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है यह हम स्वीकार करते हैं। अभी बहुत सारी बातें कही गई कुछ ऐसे सवाल और मुद्दे उठाए गए जो पहले भी सदन में चर्चा में आ चुके हैं और उनका जवाब दिया जा चुका है। कुछ घटनाएं जरूर

दुर्भाग्यपूर्ण हुई हैं और उन पर कठोर कार्यवाही करने जा रहे हैं। अदालत तो कठोर कार्यवाही करेगी ही लेकिन हम अपने स्तर से भी कठोर कार्यवाही करेंगे। जालौन वाली घटना का जिक्र हुआ वह हमारी पार्टी के प्रतिष्ठित नेता थे, वह थाने में उम्मीद लेकर गए थे लेकिन थाने में न्याय के बजाय उनको गोली मिली। उनकी हत्या कर दी गई उनके भाई और सभासद की भी हत्या कर दी गई। यह हत्या थानाध्यक्ष द्वारा की गई इस प्रकरण में हम जो कठोर कार्यवाही करेंगे वह आपके सामने जल्दी ही आएगी। चाहे पुलिस की गलती हो या माफियाओं की गलती हो हम अभी उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं। माफिया लोग जो गोमती नगर और इंदिरा नगर में जमीनों पर कब्जा करके मकान बना लिए हैं हम उनकी सूची बना रहे हैं। हमारी सरकार माफियाओं को संरक्षण नहीं देगी। ऐसी बातें बार-बार कही जाती हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था खराब हो रही है इससे जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में तेजी से आ रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। कानून-व्यवस्था की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। सबसे ज्यादा गम्भीर घटना जालौन की हुई है। वहां पुलिस ने थाने पर लोगों की हत्या कर दी। इस प्रकरण में हम कठोर कार्यवाही करेंगे अदालत तो अपना काम करेगी ही। जहां पर कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कानून-व्यवस्था को सुधारने में सबके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप यह प्रचार करेंगे कि कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है तो उत्तर प्रदेश में जो तेजी से विकास का प्रयास किया जा रहा है उस पर बुरा असर पड़ेगा। हमें देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक अच्छी तस्वीर पेश करनी है। कानून-व्यवस्था बिगड़ चुकी थी उस बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था को सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं और सुधार रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मेरी शुभकामनाएं मुख्य मंत्री जी को हैं कि वह प्रदेश की कानून-व्यवस्था को ठीक करें। मैं केवल आंकड़े रखना चाहता हूं। जो पिछले सदन और इस सदन के बीच के हैं। डकैतियां 120, लूट की घटनाएं 784, हत्याएं 2,516, झगड़े फसाद 1,099, चोरी चेन स्नैचिंग के 1,621, राहजनी के 6, अपहरण के 635, बलात्कार के 413, शील भंग के प्रयास के 511 और जो छोटी मोटी छेड़खानी की घटनायें जिसमें महिलाओं को सड़क में निकलने में भय लगता है 1,266 घटनाएं हुई हैं। आंकड़े अपने में यह कह रहे है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। मैं यह आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में इसलिये ला रहा हूं कि इनको अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं वह सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम ऐसा न कहें इससे प्रदेश में औद्योगीकरण प्रभावित होता है। मान ले कि हम सदन में यह न कहें लेकिन आप मीडिया को रोक लेंगे, टेलीविजन को रोक लेंगे। इन सारी घटनाओं का एनालिसिस करके जो लोग लिख रहे हैं, उनको रोक लेंगे ? जितनी पारदर्शिता होनी चाहिए उतनी तो हो। घटनाओं को निष्पक्ष भाव से रखना चाहिए। मान्यवर, मैं तो यह आंकड़े जो बता रहे हैं उनको सदन के समक्ष रख रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

नेता विरोधी दल ने .....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैंने एक गम्भीर प्रश्न .....

श्री उपाध्यक्ष–

मौर्या जी, आप बैठ जायं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको नियम मालूम है कि नेता सदन या नेता विरोधी दल खड़े हों तो बैठ जाना चाहिए। नेता सदन खड़े है, आप कृपया बैठ जायं। मैंने आपको बोलने के लिये नहीं कहा है। कृपया बैठ जायं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल ने आंकड़े दिये हैं । उन आंकड़ों के बारे में हम जानकारी करा लेंगे । लेकिन यह क्यों भूल जाते हैं कि आपकी सरकार में 80-85 फीसदी रिपोर्ट लिखने की मनाही की गयी थी । कितने केसेज हैं जिनमें कि हाई कोर्ट और न्यायालय के आदेशों पर रिपोर्ट लिखी गयी । आप देखें हमने तो कहा है कि चाहे रिपोर्ट सही हो या गलत लेकिन लिखनी पड़ेगी जो रिपोर्ट नहीं लिखेगा उसको सजा दी जायगी । मैं इसीलिये आंकड़ों के आधार पर यह दोहराना नहीं चाहता । जनता महसूस करती है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है तो हम मानेंगे । आंकड़ों के अनुसार चलेंगे तो आपके समय में तो करोड़ों रुपये के साइन बोर्ड लगे थे, कितनी कानून-व्यवस्था सही थी ? यदि आंकड़ों के हिसाब से चलेंगे तो आपके समय में तो कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी थी । आपका फीचर जनता को बहुत अच्छा लग रहा था । आज जनता महसूस करती है कि पिछले शासन से इस शासन में ज्यादा सुधार हुआ है । यह सही है कि धर्मपाल जी के लड़के का अपहरण हुआ है । मुझे भी अफसोस है और बात चीत आपसे मैंने की है । वह आपका ही बेटा नहीं है, हम सबका बेटा है । हम भी प्रयास करेंगे कि वह सुरक्षित मिल जाय । आंकड़ों के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह तो जनता महसूस कर ही रही है कि कानून व्यवस्था सही हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम इकबाल सिंह, नेता विरोधी दल और माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने सुना । यह सूचना नियम–56 की ग्राह्यता की परिधि में नहीं आती है । दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री धर्म राज निषाद और श्री सुखदेव राजभर, नवाब सिंह नागर और घनश्याम शुक्ला जी की है । यह विषय आ चुका है इस सदन में हाईकोर्ट में यह विषय लम्बित है ।

(व्यवधान)

दो मिनट लालजी वर्मा को दे रहे है दो मिनट में अपनी बात कह दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या–

मैं और मेरा दल सदन से बहिष्कार करता है ।

कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्य मंत्री के कथन से असंतुष्ट होकर

[श्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने अपने दल के सदस्यों के साथ (केवल श्री लालजी वर्मा को छोड़कर) सदन का त्याग किया]

श्री उपाध्यक्ष–

दो मिनट लालजी वर्मा जी आपको दिए हैं अपनी बात कहें ।

श्री लालजी वर्मा–

सदन को शान्त तो होने दें ।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पीठ से निर्देश दिए गए थे कि अगले दिन के उपवेशन में सुन लिया जाएगा मेरे क्षेत्र के दो मामले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मेरे मेरठ के डी०पी० नगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय .....

श्री उपाध्यक्ष–

किस नियम में बोल रहे हैं !

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

311 में मेरा मामला था । पीठ से निर्णय दिया गया था कि अगले दिन के उपवेशन में इसको ले लिया जाएगा । इसलिए आग्रह कर रहा हूं । व्यवस्था देने से पहले पीठ से निर्णय दिया गया है उसका संज्ञान ले लें तो मुझे न्याय मिल जाएगा । अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं दो मामले हैं इसमें अन्य माननीय सदस्यों का भी नाम है । पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर कहना चाहता हू ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसको देखेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

देखेंगे कब, मेरी सूचना पिछले उपवेशन में थी, उस समय सदन व्यवस्थित नहीं था तो पीठ द्वारा निर्णय दिया गया था कि जब नियम–311 की सूचना ली जाएगी जिसे नियम 56 में परिवर्तित किया गया था उसको अगले उपवेशन में लिया जाएगा इसलिए आज सूचना नहीं दी । तो व्यवस्था के आधार पर मेरा अधिकार है तो इसमें आप समय दे दें । दो मामले अपने क्षेत्र के उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी बोल लें इस बीच इसको दिखवा लेते हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, 13 तारीख को .....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मद संख्या–19 अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा 12.30 बजे होना तय था इसका समय चार बार बढ़ाया जा चुका है जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार इसको 2.40 बजे पर प्रस्तुत किया जाना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा 13 जनवरी को अलोकतांत्रिक फैसला किया गया । प्रदेश में सुचारु रूप से चल रहे जो जनपद थे उनको समाप्त कर दिया गया । अम्बेदकर नगर 29 सितम्बर, 1995 को जिला बना था । अम्बेदकर नगर जनपद के सभी मुख्यालय आफिसेज, पुलिस लाइन, कचेहरी आदि सभी आफिसेज का निर्माण हो गया था । सभी आफिसों के निर्माण हो जाने के बाद भी इस आधार पर कि इससे अनुपयोगी खर्च हो रहा है, केवल जेल को छोड़कर अन्य सभी आफिस वहां बन गये थे, अन्य जिलों को समाप्त करने के साथ-साथ अम्बेडकर नगर को भी समाप्त करने का काम किया गया ।

मान्यवर, अम्बेडकर नगर की आबादी साढ़े बीस लाख है, चार तहसीलें, नौ ब्लाक है और दो हजार गांव है । ढाई हजार किलोमीटर का क्षेत्र है । प्रदेश में अम्बेडकर नगर से छोटा बागपत है, उसकी आबादी ग्यारह लाख और क्षेत्रफल 1,347 वर्ग किलोमीटर है । कन्नौज, इसकी आबादी केवल साढ़े तेरह लाख और क्षेत्रफल 2,126 वर्ग किलोमीटर है । इसी प्रकार महोबा की केवल साढ़े सात लाख की आबादी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, लालजी वर्मा ने कार्य स्थगन के माध्यम से अम्बेडकर नगर का प्रश्न उठाया । मान्यवर, नवसृजित जिलों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की जरूरत थी और 8 साल में 100 करोड़ की व्यवस्था कर पाये । मान्यवर, आपसे मेरा दूसरा आग्रह है, 12.40 बजे वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लिया जाना है और 12.40 हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी मद सं०–19 के लिए 10 मिनट का समय बढ़वा दीजिए ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा शिरोधार्य है, यदि देरी करेंगे तो विधान परिषद् में कैसे जायेगा ? अब आपके निर्देश का पालन हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, अब हम मद संख्या–19 लेते है ।

(श्री लालजी वर्मा के साथ श्री नवाब सिंह नागर, श्री घनश्याम शुक्ल, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव तथा डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी आदि भाजपा के अधिकांश सदस्य नारे लगाते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 38,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 38,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 6,94,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03– उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 6,94,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि बाकी सभी मद एक साथ ले लें ।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,05,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,05,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग)के अन्तर्गत 10,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग) के अन्तर्गत 10,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 30,85,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 30,85,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,23,62,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,23,62,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 73,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 73,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–11. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 16,22,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 16,22,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 48,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 48,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 95,26,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 95,26,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 28,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 28,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन))

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 9,41,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 9,41,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 14,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 14,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–22–खेल विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत 52,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत 52,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 32,42,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 32,42,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

यह जो माननीय सदस्य पीठ को देखकर अपशब्द कह रहे हैं तो मैं उनको इंगित कर दूंगा ।

अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,93,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,93,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 39,27,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 39,27,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 12,35,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 12,35,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 39,53,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 39,53,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 16,55,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 16,55,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,42,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,42,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 99,19,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 99,19,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 21,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 21,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 9,90,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 9,90,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,64,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,64,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 2,42,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 2,42,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,21,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,21,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 11,39,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 11,39,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 4,26,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 4,26,00,00 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–60–वन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत 2,51,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत 2,51,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन) के खड़े होने पर भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर पर आये माननीय सदस्यगण अपने-अपने आसनों पर चले गये (परन्तु बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े रहे)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की दि० 5 फरवरी, 2004 की नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

श्रीमन्, पिछले उपवेशन में पीठ से यह व्यवस्था दी गयी थी कि नियम–311 में प्राप्त जो सूचनाएं हैं उन पर नियम–56 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, इतनी सी बात थी कि अगर कोई

सदन में सरकार की ओर से अर्जेन्ट कार्य किया जाना है तो आप कह सकते थे कि इस समय यह ले रहे हैं उसके बाद माननीय सदस्य जो अपनी बात करना चाहे, कह सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कार्यवाही मेरे पास आ गयी है कहीं पीठ से कोई निर्देश नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सदन में ये बातें आयीं थीं ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर अपनी बात कहना चाहते हैं और अगर उन्हें कहने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर यह स्थिति पैदा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात शिरोधार्य है । जो बात माननीय बाजपेयी जी ने कही तो उसमें कहना है कि पीठ से कोई निर्देश नहीं आया इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

माननीय लालजी वर्मा जी जो आप जिलों की बात कर रहे हैं तो वह मामला हाईकोर्ट में लम्बित है । इस पर तीन बार चर्चा हो चुकी है । (श्री लालजी वर्मा सदन के फ्लोर से कहने लगे कि मान्यवर, इस पर एक दिन भी चर्चा नहीं हुई है ।)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमागत)

अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 15,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 15,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 10,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 10,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 3,56,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 3,56,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,25,33,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,25,33,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 18,19,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 18,19,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 6,56,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 6,56,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 51,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 51,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 4,12,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 4,12,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 4,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 4,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 41,86,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 41,86,73000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 4,97,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 4,97,40,000 रुपये की अुनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 12,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 12,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत 3,81,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत 3,81,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 8,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 8,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92 (संस्कृति विभाग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 16,05,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 16,05,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004

31 मार्च, 2004 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1– यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2003-2004 के लिए 19504,63,08,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2004 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 19504,63,08,000 रुपये (उन्नीस हजार पांच सौ चार करोड़ तिरसठ लाख आठ हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-सं०	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
1	आबकारी विभाग	राजस्व	3323	...	3323
		पूंजी	488	...	488
2	आवास विभाग	राजस्व	....	45	45
		पूंजी	...	...	0

दिनांक 26-3-2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

1	2		3		
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	6381	...	6381
		पूंजी	63100	...	63100
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	3825	...	3825
		पूंजी	6710	...	6710
5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	1032	...	1032
		पूंजी	...	...	0
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	...	...	0
		पूंजी	308549	...	308549
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	123624000	...	123624000
		पूंजी	...	...	0
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व	7351	160	7511
		पूंजी	...	...	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	...	...	0
		पूंजी	162200	...	162200
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	4875	...	4875
		पूंजी	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	327754	...	327754
		पूंजी	624920	...	624920
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	...	...	0
		पूंजी	2894	...	2894
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	94150	...	94150
		पूंजी	...	...	0
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	1451	...	1451
		पूंजी	...	...	0
22	खेल विभाग	राजस्व	...	...	0
		पूंजी	5260	...	5260
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	...	...	0
		पूंजी	324234	...	324234

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	...	...	0
		पूंजी	19377	...	19377
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	271888	...	271888
		पूंजी	120833	...	120833
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	123520	...	123520
		पूंजी	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	299464	...	299464
		पूंजी	95875	...	95875
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	139841	...	139841
		पूंजी	25751	...	25751
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	161	...	161
		पूंजी	...	...	0
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	44260	222	44482
		पूंजी	...	...	0
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	15000	...	15000
		पूंजी	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	288537	...	288537
		पूंजी	703400	...	703400
39	भाषा विभाग	राजस्व	2160	...	2160
		पूंजी	...	...	0
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	99057	...	99057
		पूंजी	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व	36445	...	36445
		पूंजी	...	...	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	43	...	43
		पूंजी	...	...	0
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	24273	...	24273
		पूंजी	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	37600	...	37600
		पूंजी	4531	...	4531
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	113967	...	113967
		पूंजी	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	10000	1871	11871
		पूंजी	32600	611	33211

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) सड़कें	राजस्व	...	...	0
		पूंजी	2000	...	2000
60	वन विभाग	राजस्व	7357	...	7357
		पूंजी	17748	...	17748
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1	...	1
		पूंजी	...	64513400	64513400
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	1566	...	1566
		पूंजी	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	...	...	0
		पूंजी	1096	...	1096
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	35600	...	35600
		पूंजी	...	...	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	1253300	...	1253300
		पूंजी	...	...	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	25499	...	25499
		पूंजी	156481	...	156481
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	64687	...	64687
		पूंजी	1000	...	1000
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	5122	887	6009
		पूंजी	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	5001	...	5001
		पूंजी	...	...	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	22109	...	22109
		पूंजी	19094	...	19094
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	499	...	499
		पूंजी	...	...	0
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	...	1499	1499
		पूंजी	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	राजस्व	418673	...	418673
		पूंजी	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व	49740	...	49740
		पूंजी	...	...	0
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	1201	...	1201
		पूंजी	...	...	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	राजस्व	38100	...	38100
		पूंजी	...	...	0
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	807	...	807
		पूंजी	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	4721	...	4721
		पूंजी	155839	...	155839
94	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)	राजस्व	100000	...	100000
		पूंजी	...	59292	59292
	योग–	राजस्व	127614341	4684	127619025
		पूंजी	2853980	64573303	67427283
	कुल योग–		130468321	64577987	195046308

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक 2004 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात मैंने पूरी सुन ली थी । कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायं ।

(श्री उपाध्यक्ष के अनुरोध पर सदन के फ्लोर पर आये हुए श्री लालजी वर्मा, श्री धर्मराज निषाद तथा श्री जयराम विमल आदि ब०स०पा० के सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो व्यवस्था दी गयी थी, जो कि नियम–56 में चयनित की गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–56 में चयनित नहीं हुई थी बल्कि विशेष उल्लेख के लिए कहा गया था लेकिन यहां नहीं कहा गया था हम इसके लिये बात कर लेंगे । यह कार्यवाही में नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आप स्वयं स्मरण कर ले, आपके द्वारा निर्देश दिये गये थे, किसी प्रकार से सदन अव्यवस्थित होने के कारण कार्यवाही में नहीं आ पाया है तब भी यह नहीं होता है कि जो निर्देश पीठ द्वारा दिये गये हों, उसका स्मरण न हो । यदि वह निर्णय पीठ द्वारा दिया गया है तो उसका पालन होना चाहिए । मेरा केवल इतना कहना है कि कार्यवाही आपने देख ली है, आपका कहना है, कि कार्यवाही में नहीं है, यदि किसी कारण से वह लिखा नहीं गया है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी और आपके स्मरण में है कि यह सूचनाएं ली जायेगी तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि कृपापूर्वक उसे सुन लें । जिससे सरकार के संज्ञान में आ जाये और सरकार कार्रवाई करे ।

श्री उपाध्यक्ष–

विचार कर लिया जायेगा ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

उपाध्यक्ष जी, नियम–56 में हमारी भी सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज समय बहुत कम है ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, नम्बर–दो पर हमारी सूचना है, पहले उसको सुन लीजिए ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कृपा-पूर्वक अनुमति दी लेकिन बीच में व्यवधान हो गया ।

(श्री नवाब सिंह नागर अपनी सूचना पर सुने जाने के लिए बल देते हुये सदन की वेल में आ गये ।)

श्री नवाब सिंह नागर–

उपाध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर विषय है और नम्बर–2 पर मेरी सूचना थी इसलिए इसको सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने आसन पर जाकर अपनी बात कहें । यहां से आपकी बात नहीं सुनी जायेगी । अभी जब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो आप अपनी बात कह लीजिएगा ।

(श्री नवाब सिंह नागर सदन की वेल में आकर बैठ गये ।)

अगर इस तरह से अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे तो कैसे सुना जा सकेगा ? आप अपने आसन पर जायें । श्री लालजी वर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, दूसरे नम्बर पर मेरी सूचना है और चयनित भी है फिर क्यों नहीं सुनना चाहते है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप केवल इतना निर्देश दे दें कि माननीय लालजी वर्मा जी के बाद आप नवाब सिंह नागर को सुन लेंगे ।

(श्री नवाब सिंह नागर सदन की वेल से वापस अपने आसन पर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री लालजी वर्मा जी को मैंने बुला लिया है पहले उनको सुन लें ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, नियम–56 में मेरी सूचना है और मेरा नाम भी है । लालजी वर्मा जी के बाद मुझे सुन लें ।

कुंवर भरतेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिस क्रम में जिसका नाम है, उसी के अनुसार अवसर दिया जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दे दी कि दो कार्य स्थगन पर सुना जायेगा । मुझे आपने बुला लिया, मैं ग्राह्यता पर चर्चा कर रहा था कि विभिन्न जनपदों को 13 जनवरी को समाप्त किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मा० अध्यक्ष जी ने नियम–300 की सूचना पर यह व्यवस्था दी थी कि महामहिम राज्यपाल ने जिलों की समाप्ति पर जो अपने अभिभाषण में चर्चा की, वह न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए नहीं उठा सकते । आपकी पीठ से यह व्यवस्था हुई कि महामहिम राज्यपाल ने जिस रूप में इसको समाप्त करने की बात कही है वह न्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं करती । उसी तरह से मैं भी अपनी बात न्यायालय के निर्णय को बिना प्रभावित किये हुये और किसी तरह की कुचेष्टा न करते हुये लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखना चाहता हूं । मान्यवर, राज्य सरकार ने एक फैसला किया 13 जनवरी को । राज्य सरकार ने एक वचनबद्धता दी थी कि हम भेदभाव और पक्षपात नहीं करेंगे । मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही थी । लेकिन मेरा कहना है कि जिलों को समाप्त किये जाने में भेदभाव और पक्षपात किया गया है । अगर नियम बनाया जाता कि इतनी आबादी पर, इतने ब्लाकों पर, इतनी तहसीलों पर जिलों को समाप्त किया जायगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती । मान्यवर, 1997 में बलरामपुर, कन्नौज, बागपत जिले बनाये गये लेकिन उनको क्यों नहीं समाप्त किया गया । वर्ष 1995 में अम्बेडकर नगर जिले को बनाया गया । अम्बेडकर नगर की आबादी 20 लाख 25 हजार है । मान्यवर, केवल प्रदेश में 13 जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी अम्बेडकर नगर से ज्यादा हैं । आपकी जो सूचना विभाग की डायरी है उसी से मैं आंकड़े दे रहा हूं । बागपत की आबादी 11 लाख 64 हजार की है । कन्नौज की 13 लाख 85 हजार है । संत रविदास नगर भदोही की 13 लाख 52 हजार है । बलरामपुर की 16 लाख 87 हजार है । चित्रकूट की 8 लाख है । महोबा की 7 लाख 9 हजार है । लेकिन महोबा, चित्रकूट, बागपत को समाप्त नहीं किया गया जबकि अम्बेडकर नगर को समाप्त किया

गया । राजस्व मंत्री जी ने कहा कि इन जिलों पर 1 हजार करोड़ रुपये खर्च आयेगा । अम्बेडकर नगर में सभी कार्यालय भवनों का निर्माण हो गया था । डी०एम० आफिस 12 एकड़ में बन गया । कमिश्नर फैजाबाद से सूचना मांगी गयी थी । कमिश्नर फैजाबाद ने सूचना भेजी है कि जो जिले बनाये गये हैं उनमें जो विभिन्न कार्यालयों का सृजन किया गया है उन पर 20 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा । लेकिन सारी स्थितियों के रहते हुए भेदभाव पूर्ण तरीके से अम्बेडकर नगर को समाप्त किया गया । क्योंकि वहां के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की नेता बहिन कुमारी मायावती को चुनकर लोक सभा भेजने का काम किया था और वहां के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की नेता कुमारी मायावती को विधान सभा में भेजने का काम किया था । बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी, उनके नाम पर जो जिला बनाया गया था उसको अलोकतांत्रिक ढंग से समाप्त किया गया । माननीय मंत्री जी जब खड़े होंगे तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वहां पर कलेक्ट्रेट कचेहरी, पुलिस लाइन विद्युत आफिस, वन निगम का आफिस, सिंचाई विभाग का आफिस, बेसिक शिक्षा विभाग का आफिस बन गया था उसके बावजूद भी इस जिले को क्यों समाप्त किया गया है ? आज दूसरे जिलों के लोगों को डेढ़ सौ किलोमीटर चलकर फैजाबाद आना पड़ेगा । कचेहरी, जिला अधिकारी के कार्यालय आना पड़ेगा और गरीब आदमी को काफी पैसा फैजाबाद आने पर खर्च करना पड़ेगा । गांव के गरीब दरिद्र नारायण की परवाह माननीय नेता सदन को नहीं है केवल उनको खजाने की परवाह है । वहां पर जो कर्मचारी कार्यरत थे । उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा अगर नौकरी से नहीं निकाला जाएगा तो किस तरह से पैसों की बचत होगी । यह मेरी समझ में नहीं आता है । पूरे प्रदेश में जहां-जहां यह जनपद प्रशासनिक दृष्टि से बनाये गये थे जनता की सुविधा के लिए बनाए गये थे । उनको समाप्त करके जनभावनाओं के विपरीत कार्य किया गया है । इस अविलम्बनीय और तात्कालिक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं । निश्चित रूप से चर्चा में सारे तथ्य सामने आयेंगे । इसी सदन में जब अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की बात आयी थी तो मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा था कि हम तो अम्बेडकर जिले का गठन करना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाये । उस जिले को समाप्त करके भेदभाव करने का काम किया गया है । आज सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले कुर्मी, शाहू और मानवता का सन्देश देने वाले गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों की अवमानना करने का काम किया गया है । मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए ।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, मुझे खड़े होना चाहिए लेकिन मजबूरी है । हम पहले ही अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना कर चुके थे, नेता विरोधी दल से भी हमारा एक कार्यक्रम है इसी के लिए अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था । आपसे भी मैंने क्षमा मांग ली थी । हम नेता विरोधी दल का भाषण सुनना चाहते हैं यह जो सारी की सारी बातें हो रही हैं जिस समय श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है उस समय यह सवाल उठाये जा सकते हैं । अब नेता विरोधी दल को मौका देना चाहिए जिससे उनकी बात मैं सुन सकूंगा । नेता प्रतिपक्ष जब बोलेंगे तो उसकी भावनायें सारे प्रतिपक्ष की भावनायें होंगी अभी प्राइम मिनिस्टर को भी रिसीव करना है इसलिए अनुरोध है कि नेता प्रतिपक्ष से चर्चा जारी करा दें ।

(मुख्यमंत्री जी के कथन से असन्तुष्ट होकर श्री लालजी वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं । शाहजहांपुर के एक व्यापारी की गोरखपुर में हत्या कर दी गयी ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें । मैं श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उपस्थित रहने की बात कही वह उनका शिष्टाचार है । मैं अपना भाषण जब दूंगा तो यह भी हो सकता है कि वह कांटीन्यू रहे । लेकिन उसके पहले यह चाहता हूं कि जिलों का जो मामला है उसमें हर विधायक को जिसके जिले का मामला हो उनको बोल लेने दिया जाए क्योंकि उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । उन्हें कम से कम अपनी बात कहने का मौका दे दिया जाय । नवाब सिंह नागर जी को एक मिनट का समय दे दें ।

श्री उपायक्ष–

पहले आप बोल लें । आपने समस्या का समाधान कर दिया है । माननीय मुख्यमंत्री जी भी चले जायेंगे फिर उसके बाद बाकी लोगों को बोलने दिया जायेगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा थोड़ा सा रह गया था, मैंने जो कहा है उसमें अपेक्षा है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और पैसा और सोना वापस दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप बैठ जायें ।

(श्री नवाब सिंह नागर के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, एक मिनट इनको सुन लीजिये ।

* श्री नवाब सिंह नागर–

मानीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, अभी 13 जनवरी को जो जिले समाप्त कर दिये गये हैं उसमें हमारा जनपद गौतम बुद्ध नगर भी है । हमारे जिले को समाप्त करने के दो कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिये हैं, एक तो राजस्व का और एक नोएडा में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का । ऐसा मैंने टेलीवजन में देखा था । यह कहा गया कि वहां पर 3 हजार रुपये प्रति मीटर जमीन रेट गिर गये हैं । यह इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि किसी क्षेत्र का विकास रुक गया और वहां 3 हजार रुपये प्रति मीटर जमीन का रेट गिर गया । यह इस सरकार का फैल्यौर है । राजनैतिक स्वार्थों के कारण इन जिलों को समाप्त किया गया है । राजस्व के मामले में बताना चाहता हूं कि जब 1997 में हमारा जिला बना था तो 800 करोड़ रुपये राजस्व देता था । जिला बनने के बाद 1500 करोड़ रुपये राजस्व दे रहे हैं । इस तरह से इतना राजस्व बढ़ा है । वहां से फैक्ट्री चली गयी तो एक ऐसा माहौल वहां पर बन रहा है कि वहां पर उनके लिए वातावरण सुरक्षित नहीं है । इस तरह से वहां से सब फैक्ट्रियां चली जायेंगी तो वहां पर घाटे की स्थिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो जायेगी । ग्रेटर नोएडा राजस्व की दृष्टि से बनाया गया था । इस दृष्टि से इस जिले का बना रहना आवश्यक है । जनता की भावनाओं के अनुसार आप देखें वहां पर कोई ऐसा जनान्दोलन नहीं है जो वहां न हुआ हो । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि वहां पर कालोनाइजर लोग ही आन्दोलन कर रहे हैं । आपने वहां पर 1 हजार लोगों को गिरफ्तार किया । वहां पर लाठी चार्ज किया गया । घरों में घुस-घुस कर औरतों बच्चों तक की पिटाई हुई । एक बहुत ही तेज किस्म के अधिकारी को आपने वहां भेजा । 4 दिन तक वहां पर जी०टी० रोड बन्द रही । 13 रैपिड एक्शन फोर्स आपको वहां पर भेजना पड़ा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं । आपकी बात आ गयी है ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)–

हर बार जब महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है तो धन्यवाद के समय जो लोग इधर बैठते हैं कुछ कहते हैं लेकिन वहीं जब उधर बैठते हैं तो उसका उल्लंघन करते हैं । मैं उस समय की बात एक उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं । जब मुख्यमंत्री जी इधर बैठते थे उन्होंने कहा कि जिस मंत्रिमण्डल के द्वारा यह अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है उससे प्रदेश को कोई दिशा मिलने वाली नहीं है इसमें उनको मंत्री बनाया गया है, जिनके आचरण पर बराबर सन्देह रहा है उन्हीं को इस मंत्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया है । यह उन्हीं के शब्द हैं । मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं कि वह अपनी कथनी को अपने दिल में झांक कर देखें कि क्या हुआ । मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि यह तो एक नीतिगत डाक्यूमेन्ट होता है । मैं राज्यपाल महोदय की अवमानना नहीं करना चाहता । यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं है, यह सरकार का है । सरकार के द्वारा इसका एक-एक अक्षर लिखा हुआ है कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि राज्यपाल के ऊपर स्वयं आक्षेप है । जैसा उन्होंने कहा है कि डेढ़ साल के वनवास के उपरान्त मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो पाया है यह किसकी तरफ इशारा है । हम राज्यपाल की इज्जत कर रहे हैं यह राज्यपाल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपने हमको नहीं बुलाया तो कुछ मर्यादा बनाकर रखनी होगी । इसी तरह से बहुत सी चीजें होती हैं नई सरकार में अन्तर होता है जो सरकार जाती है उसकी आलोचना होती है नई सरकार की नीतियां होती हैं लेकिन कम से कम पार्लियामेन्टी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए कि संसदीय भाषा की हत्या न हो जाए इसमें संसदीय भाषा की हत्या हुई है मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश किसी एक आदमी का नहीं है न ही प्रदेश में कोई एक आदमी मुख्यमंत्री रह सकता है, कोई एक दल हमेशा के लिए उधर नहीं बैठ सकता है और न ही कोई एक दल हमेशा इधर बैठ सकता है । जनता इधर-उधर करती रहती है । लेकिन हमें कम से कम वह मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए । उन बातों को देखना चाहिए इसमें कोई नीति कोई विकास की बात नहीं है । उत्तर प्रदेश के भावी वर्ष आगामी वर्ष में क्या होगा वह मिलकर देखा जाना चाहिए । निजी क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं आपने निजी पूंजी निवेश हो इसका स्वागत किया है, मैं इस नीति का समर्थन करता रहा हूं ।

---

† दिनांक 5 फरवरी, 2004 की कार्यवाही से ।

(मेजें थपथपाई गयीं)

लेकिन मैं बार-बार आगाह करता हूं मोनोपोली निजी क्षेत्र में सरकार की हो जाए तो वह विकृति पैदा करती है । इससे समस्या खड़ी हो जाती है और प्रदेश को भोगना पड़ता है । मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हुई उन्होंने बताया कि आनपारा-सी को जापानियों को नहीं दिया जाएगा किसी निजी क्षेत्र को दिया जाएगा । मैं भी इसको न मानता लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लाजिक दी उन्होंने कहा कि यह सात साल में बनकर तैयार होगा जापान या निजी क्षेत्र को देंगे तो तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगा । जिस समय आनपारा-बी बनकर तैयार हुआ था उसी समय आनपारा-सी की बुनियाद रखी गयी थी । जापान से समझौता अगर हो गया होता तो एक हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही होती । लेकिन इसको हुण्डई कम्पनी को दे दिया गया, जितना पैसा निवेश किया जा रहा था उसको रोक दिया गया क्योंकि परिस्थितियां बदल गयी थीं पोखरन में विस्फोट हो गया जापान ने स्वयं रोक लगा दी । उसका एक हिस्सा बन चुका है मशीनें बनकर आनी हैं मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि उनके प्रतिनिधि ने जो सूचित किया है उसमें अन्तर है वह कहते हैं कि तीन साल में बनाकर दे देंगे और आपके पास सूचना है कि कई सौ करोड़ रुपया देना होगा, अपना शेयर उन्होंने मांगा है उसका प्रबन्ध करा लें । उसके बाद बीच में जापान ने रोक हटाई तब देश में कई नाम गये । आनपारा-सी का नाम सबसे नीचे था तब मैंने इसमें लड़ाई लड़ी कि आनपारा-सी को सबसे ऊपर रखिये यह पहले नम्बर पर आ जाएगा तो बहुत लाभ होगा । मान्यवर, वह नम्बर एक पर हो गया, वह चयन हो गया है, उनकी टीम दिल्ली में बात करने आ रही है और इस वक्त बात हो रही है कि हम स्वीकार नहीं करेंगे । नीति ऐसी बननी चाहिए, वहां के लोगों का आप पूंजी निवेश कराये, उन्हें अवसर दें, ठीक है लेकिन वहां पर सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, केवल मशीनें बदलनी होंगी, कुछ और व्यवस्था ठीक करनी होगी और इसमें पैदा की गयी बिजली सस्ती होगी ।

मान्यवर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमें भी जाना है, मुख्य मंत्री जी को भी जाना है यदि आपकी अनुमति हो तो कल के लिए कान्टीन्यू रहेगा ।

मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

हम सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, कल यह चर्चा चालू रहेगी ।

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

जो सदस्य रह गये थे, नियम–56 में बोलने के लिए, वह दो-दो मिनट बोल लें । जिस क्रम में उनके नाम हैं उसी तरह से बोलें । पहले धर्मराज निषाद, उसके बाद सुखदेव राजभर ।

श्री अध्यक्ष–

निषाद जी उपस्थित नहीं है, राजभर जी भी नहीं है । शुक्ला जी आप अपनी बात कहें ।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

* श्री घनश्याम शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें कानून-व्यवस्था और देवीपाटन मण्डल को हटाये जाने विषय पर बोलने का मौका दिया, हम इसके लिए आपके आभारी है । 13 तारीख को मण्डल और जिलों की समाप्ति की घोषणा की गयी । देवीपाटन मण्डल एक ऐसा मण्डल है जहां पर सभी कार्यालयों की स्थापना हो गयी है, डीआईजी का कार्यालय, कमिश्नर का कार्यालय बन गया है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी । जो वहां के वकील थे वह शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे, जब से मण्डल समाप्त हुआ था । 14 तारीख को अधिवक्ताओं ने हड़ताल प्रारम्भ की, वहां पर 14 तारीख से शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन चल रहा था । 20 तारीख को इन्कैन चौराहे पर पुलिस और प्रशासन के लोगों ने वकीलों को बर्बरतापूर्ण पिटायी की और 23 तारीख को भी कचेहरी प्रांगण में वकील लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना चला रहे थे, वहां पर पुलिस अधीक्षक पहुंचते हैं और न्यायालय परिसर में ही उन्होंने वकीलों की बर्बरतापूर्ण ढंग से पिटायी की । सरकार कहती है और हमारे मुख्य मंत्री जी, घोषणा करते हैं कि हम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आपकी सरकार कहती है कि हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, उसका सम्मान करते हैं । मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । सरकार हमें सुन नहीं रही है । यह गम्भीर विषय है । अध्यक्ष जी मैं चाहता हूं कि 21 तारीख को हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक जाते है और जो वकील धरना दे रहे थे उनकी निर्ममतापूर्वक पिटायी की जाती है । यहां तक कि पुलिस अधीक्षक न्यायालय के कमरे में घुस जाते है उस कमरे में घुसकर वकीलों की निर्ममतापूर्वक पिटायी करते है । गोण्डा जनपद के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने जब हस्तक्षेप किया तो उनके हस्तक्षेप के बाद यह ताण्डव हुआ । मैं चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा करायी जानी चाहिए । आज गोण्डा जनपद में 4-5 हत्यायें हुयी हैं, श्री अशोक गुप्ता की, सुरेन्द्र गुप्ता की हत्या की गयी, आये दिन अपहरण हो रहे हैं । नाबालिग लड़कियों के अपहरण हो रहे हैं, अभी हमारे यहां के श्री राम नारायण पाण्डेय की बेटी का अपहरण हुआ है । कोई कार्रवाई नहीं हुयी है । वह गम्भीर विषय है । सरकार ने कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते है । अगर मुख्यमंत्री जी न्यायपालिका का सम्मान करते है तो आपके द्वारा निर्धारित एक टीम बनाकर जिसमें विपक्ष के भी माननीय सदस्य शामिल हो जायें वह गोण्डा जनपद जाकर जांच कर लें कि किस तरह वकीलों का उत्पीड़न हुआ है । अगर मेरी बात गलत निकले तो आपकी पीठ का जो निर्देश होगा वह हम मानने के लिये तैयार है । लेकिन न्यायपालिका का सम्मान न करके यह सरकार चलने वाली नहीं है । न्यायपालिका के ऊपर हमला हो रहा हो और यह सरकार मूकदर्शक बनी रही यह बहुत दुखद है । मैं मांग करता हूं कि गोण्डा में वकीलों के ऊपर जो मुकदमें दायर किये गये हैं वह वापस हो और देवीपाटन मण्डल की बहाली की जाये और जिस एस०पी० ने न्यायपालिका का अपमान किया है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाये और कार्रवाई की जाय । यह मैं आपकी पीठ से मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यूं तो यह नीतिगत मामला है लेकिन माननीय सदस्य ने जो बातें कही है वह मैं दिखवा लूंगा और जो भी उचित होगा वह कार्रवाई होगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । अब मैं अगली सूचना जो कि श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है को ले रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, इधर देखने में यह आ रहा है कि रेल गाड़ियों की यात्रा असुरक्षित बनती जा रही है। यात्रियों के साथ में उदण्डता, अभद्रता, जहरखुरानी, उनके सामान को गायब करना यह सब अक्सर पढ़ने, सुनने और देखने में आ रहा है। मान्यवर, में अपने को सिर्फ रेलवे में यात्रियों की कैसे सुरक्षा हो इस तक सीमित रखना चाहता हूं। इस संदर्भ में हाल ही में जो दुखद घटना हुई उसका उद्धरण देना चाहता हूं। उस दिन 24 जनवरी, 04 को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पौत्र मनीष मिश्रा वह भी यात्रा कर रहा था। वह मथुरा से कौशीकलां जा रहा था। रास्ते में कुछ युवकों ने गाड़ी के अन्दर बैठी हुई युवतियों, महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़खानी की। उनके साथ था उनके साथियों ने इसका विरोध किया जिस कारण उन्होंने उसकी बर्बरतापूर्ण पिटायी की और उसे ट्रेन के बाहर फेंक दिया। उनके एक साथी जिसका नाम राकेश है, वह जीवित तो है लेकिन वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। एक और युवक जिसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था उसका पता नहीं चल पा रहा है। मैं इस घटना का उद्धरण देते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार की सीमाएं हैं उन सीमाओं के अन्दर जो ट्रेन चलती है, तो कोई ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार करे और वह रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के संयुक्त समन्वय से हो, जिससे यात्रियों के सामान की सुरक्षा हो और उसके सम्मान की सुरक्षा हो। मैं इसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं मानता हूं लेकिन यह राज्य सरकार का दायित्व है। यह वैसे तो केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो कोई ऐसी चुस्त दुरूस्त व्यवस्था राज्य सरकार मिलकर करे ताकि यात्रियों की सुरक्षा हो सकें।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो जहरखुरानी की घटनाएं हो रही हैं, जो लोगों का सामान लूट रहा है और लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं और निवेदन कराना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था विकसित करे ताकि उनके जीवन और सम्मान की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है माननीय चौधरी जी आपकी सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। माननीय खन्ना जी की अगली सूचना है।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रस्तुत सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, यह बड़ी दुखद घटना है और बहुत ही अमानवीय कृत्य किया गया है। चंद पैसों के लिए एक व्यक्ति को जिन्दा जला दिया गया उसकी हत्या कर दी गयी। उसके बाद उसके पास से 34-35 लाख का सोना जो उसके पास रखा था वह लूट लिया गया। 29 तारीख को वह व्यापारी राम नाथ रस्तोगी जो कि गोरखपुर माल बेचने गया था वहां आनन्द गेस्ट हाऊस पर ठहरा। 30 तारीख को वहां से निकला फिर वापस नही पहुंचा। मान्यवर, पांच तारीख को मैंने इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर इसकी सूचना दी थी। उनकी डेड बाडी का पूरी तरह से पता नही चला, यह बाद में पता चला कि उनको मार कर उनकी हत्या कर दी गयी वास्तविकता तो यह है कि 30 तारीख को वह एक दुकानदार का माल बेचने गए और उसी

* वक्ता ने भाष का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुकानदार ने उनको अपने घर पर बुला लिया और उनसे 35 लाख रुपये का माल छीन लिया और पेट्रोल डाल कर उन्हें जला दिया । पुलिस ने उनको लावारिस लाश के रूप में थाना खुटार में ही दफना दिया । 30 तारीख के बाद से लेकर 05 तारीख तक उनके घर वाले उनको खोजते रहे जब पता नही चला तो पुलिस द्वारा घोषित लावारिस लाश को वह लोग देखने गए । काफी समय हो जाने के कारण लाश डिकम्पोज हो गयी थी जिससे कुछ पता नही चल पा रहा था कि यह किसकी लाश है । पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद पता चला क्योंकि छः साल पहले कूलहे की हड्डी में दो बोल्ट पड़े थे, एक्सरे के माध्यम से उन दो बोल्टों का पता चला, तब कहीं जाकर लाश की शिनाख्त हुयी । मान्यवर, यह बहुत ही दुखद घटना है कि वह काफी सोना गिरवी रखकर किसी प्रकार से अपना कारोबार चला रहा था ताकि पूरे परिवार का जीविकोपार्जन कर सके ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, बहुत बड़ा जन समूह उनकी शव यात्रा के साथ था, परसों उन्हें दफनाया गया । मान्यवर, 35 लाख रुपये का सोना गया और उनकी जान भी गयी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग करता हूं कि जिन लोगों ने उनकी हत्या की उनको खुलासा किया जाय, चूंकि मामला अपहरण का था और अपहरण में रिपोर्ट दर्ज थी इसलिए किसी के नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी थी । जिन दो तीन लोगों पर संदेह था उनको कोतवाली मैं बैठा दिया गया है । मान्यवर, पूरे परिवार के लोग जान देने के लिए अमादा हैं और पूरे शाहजहांपुर के लोग आन्दोलित हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से दो मांगें करता हूं एक तो यह है कि

(4 बजकर 20 मिनट)

हत्या के लिए जो लोग दोषी हैं उनको दण्डित किया जाय और दूसरी उनके माल की रिकवरी की जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा करूंगा कि वह इस संबंध में कुछ कहें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है, अब अगली मद संख्या लेते हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 35 लाख रुपये का मामला है और हत्या का मामला है और इस पर शासन का उत्तर भी नही आया है, तो मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस संबंध में कुछ कह दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का कहना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस संबंध में कुछ कह दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस संबंध में नेता जी ने इन्हें आश्वासन भी दिया था और बड़ी गम्भीरता से इस पर कार्यवाही करने की बात भी कही थी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने स्वयं इस संबंध में उन्हें पत्र भी दिया था जिसे उन्होंने अपने पास रख भी लिया था ।

श्री प्रागी लाल अहिरवार–

मान्यवर, मेरी सूचना बी०एस०एन०एल० से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की है । मान्यवर, इनका पिछले छः माह से उत्पीड़न किया जा रहा है । तीन माह पूर्व एक कर्मचारी श्री जे०पी० परिहार का अपहरण हो गया है । दिनांक 25-1-2004 की चिरगांव पुलिस ने मोठ अवर दूरसंचार अधिकारी श्री रामवृक्ष व टेलीकाम मैकेनिक श्री मानसिंह को सायं मुख्यालय झांसी से मोठ जाते समय गिरफ्तार कर लिया । मान्यवर, उनके साथ अभद्रता की, बाद में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से उपरोक्त अधिकारी व कर्मचारियों को छोड़ा गया इससे क्षुब्ध होकर बी०एस०एन०एल० झांसी के समस्त अधिकारी व कर्मचारी आक्रोश में है तथा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि चिरगांव पुलिस श्री नीलू बादल, पी०सी०ओ० संचालक मोठ व उसके अन्य साथियों के कहने से चिरगांव पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को किसी झूठे केस में फंसाना चाहती है व किसी महिला को तैयार कर धारा-376 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर अधिकारी व कर्मचारियों को जेल भिजवाना चाहती है ।

ऐसी स्थिति में इस घटना की जांच कराकर बी०एस०एन०एल० कर्मचारियों की रक्षा की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 फरवरी, 2004 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री रामहेत की (नियम-56) में प्राप्त जनपद सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर के पुलिस चौकी इन्चार्ज द्वारा बीवीपुर निवासी श्री चन्द्रिका प्रसाद लोनिया के साथ बेरहमी से मार-पीट एवं अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया । दूसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को परेशान किए जाने के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है, तीसरी सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की है जो जनपद फतेहपुर में मेरी विधायक निधि का बिना मेरी संस्तुति के गलत ढंग से इस्तेमाल किए जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुआ । चौथी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ में महेकमा जौनपुर मार्ग तक सड़क निर्माण कराए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है । पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के दवा व्यापारियों के सेल्समैन श्री मनोज दीक्षित व अनिल सक्सेना के लापता हो जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद में अकबरपुर अल्फागंज मार्ग पर पुल का निर्माण रोक दिये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की डाक्टर भीम राव अम्बेडकर छात्रावास हजरतगंज लखनऊ के छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रों का मानसिक उत्पीड़न किए जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी । आठवीं सूचना श्री काशीराम की जनपद फैजाबाद के तहसील जलालपुर अन्तर्गत ग्राम सभा भियावं में रास्ते की पैमाइश होने के बावजूद भी रास्ता बन्द किए जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुआ । नौंवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत नोएडा क्षेत्र में अप्पूघर बनाए जाने के लिए हजारों करोड़ का घपला किए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दसवीं सूचना श्री घूरा राम की जनपद बलिया के रसड़ा नगर महापालिका के सभासद स्वर्गीय श्री अनूप श्रीवास्तव को अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े गोलियों से भून दिए जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम हैं श्री राम हेत, श्री जगदीश नरायण राय तथा श्री शारदा प्रसाद की है ।

जरौली पम्प नहर परियोजना के गलत निर्माण कार्य के स्थान पर नये निर्माण कार्य कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक श्री सुन्दर लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य द्वारा जरौली पम्प नहर परियोजना हेतु ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[निर्मित कराये गये डिलीवरी टैंक एवं वायाडक्ट के परिकल्पन एवं निर्माण संबंधी कमियों की जांच एवं उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारियों को बचाने की सूचना दी गयी है । इस संबंध में वस्तुस्थिति की सूचना इस प्रकार है :–

जरौली पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत निर्मित डिलीवरी टैंक एवं वायाडक्ट के निर्माण में कतिपय कमियों के संबंध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने कार्यालय-ज्ञाप संख्या सी-3423/प्रअ/परि०अनु० दिनांक 31-07-2002 के द्वारा तीन वरिष्ठ अधिकारियों की विभागीय समिति गठित की, जिसे इस स्थल के निरीक्षण कर समस्या के निराकरण हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

तकनीकी समिति ने स्थल का निरीक्षण किया एवं रिपोर्ट में यह संस्तुति की कि निर्मित टैंक एवं वायाडक्ट को तोड़कर पुनः निर्मित कराया जाय । तद्नुसार प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 5399/प्रअ/परि०अनु० दिनांक 27-12-2002 द्वारा डिलीवरी टैंक व वायाडक्ट को तोड़कर पुनः बनाने के आदेश दिये । इसी मध्य इस संबंध में श्री पी०राम, मुख्य अभियन्ता, अग्रिम नियोजन (तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, जिनके द्वारा यह निर्माण कराया गया था) ने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि इस टैंक व वायाडक्ट को तोड़कर पुनः बनाने की आवश्यकता नही है एवं इस प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से अधिक राशि भी व्यय होगी । उनके द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अवगत कराया कि उनके इस प्रस्ताव से, मात्र कुछ ही धनराशि व्यय कर सुधारात्मक उपाय कर इसे क्रियाशील बनाया जा सकता है ।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-12-2002 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया एवं इस प्रकरण को दिनांक 27-12-2003 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विभागीय मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । समिति के द्वारा निम्न निर्णय लिये गये :–

डिलीवरी टैंक एवं वायाडक्ट के उपचार के संबंध में विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों एवं श्री पी०राम, मुख्य अभियन्ता द्वारा उपचार हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों को केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से परीक्षण कराकर उनसे प्राप्त संस्तुति को मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की अथवा अन्य एजेन्सी से लोड टेस्ट करा लिया जाये ।

प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक पत्रावली संख्या 3821 एवं 3845 में हेराफेरी का प्रश्न है अवगत कराना है कि ये पत्रावली इस प्रकरण से संबंधित नही है । प्रकरण से संबंधित किसी भी पत्रावली में हेराफेरी नही की गयी है वे सुरक्षित हैं ।

इस परियोजना के डिलीवरी टैंक व वायाडक्ट के निर्माण के सं[illegible] शासकीय क्षति पहुंचाने एवं अन्य आरोपों के संबंध में श्री फिरंती राम, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता वर्तमान में मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सर्वश्री वी०के० गौड़ एवं डी०के० यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्तागण तथा श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, तत्कालीन अवर अभियन्ता को आरोप पत्र देकर [illegible] अभियन्ता (यांत्रिक) को जांच अधिकारी नामित किया गया । जांच अधिकारी द्वारा श्री पी०राम की जांच रिपोर्ट शासन में उपलब्ध करायी गयी । जिसमें कुल 10 आरोपों में से 06 आरोप पूर्णरूप से, एक आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने की पुष्टि की गयी । शेष 03 आरोपों को जांच अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं [illegible] गया ।

इसी मध्य श्री पी०राम, मुख्य अभियन्ता ने मा० लोक सेवा अभिकरण में नि[illegible] याचिका संख्या 827/2003 योजित की तथा इसे संहारणीय न मानते हुए दिनांक 15-10-2003 को [illegible] न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं 04 माह के अन्दर विभागीय जांच कराव[illegible] कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये ।

अपचारी अधिकारी द्वारा मा० लोक सेवा अभिकरण में दूसरी निदेश याचिका 1119/2003 दाखिल की जिसमें दिनांक 17-12-2003 को मा० अभिकरण द्वारा पारित आदेशों में आरोप पत्र के इफेक्ट एवं एक्जीक्यूशन पर रोक लगा दी गयी । याचिका में लिखित विवेचन एवं स्थगन आदेश वैकेट कराने हेतु त्वरित निस्तारण प्रार्थना-पत्र दाखिल कर दिया गया है ।

उक्त से स्पष्ट है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बचाने का प्रयास नही किया जा रहा है और न ही किसी अभिलेख में हेरा-फेरी की जा रही है ।]

इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज की जमीन दूसरे को आवंटित किये जाने के संबंध मे श्री उदय भान करवरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय विधायक श्री उदयभान करवरिया द्वारा.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना।

[.... दिनांक 9-12-2003 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह तथ्य दिये गये थे कि नगर निगम इलाहाबाद के कर्मचारियों द्वारा दरियाबाद मुहल्ला अतरसुइया इलाहाबाद में स्थित भूखण्ड को जो इलाहबाद होम्योपैथिक कालेज के नाम था, को जकिया बेगम आर्शिया कादिरी जुबेर अहमद के नाम

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दर्ज कर दिया गया है । जबकि उक्त भूखण्ड पर मानचित्र स्वीकृत होकर इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज बना है । प्रकरण में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जांच रिपोर्ट पर प्रतीक्षित कार्यवाही को सम्पन्न कराने का अनुरोध किया गया था ।

2–इस संबंध में अवगत कराना है कि इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के विलेखों में की गयी अनियमितता की जांच का अनुरोध मा० सदस्य, विधान सभा श्री उदयभान करवरिया द्वारा किया गया था । उक्त तथ्य संज्ञान में आने पर प्राचार्य राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद से स्थिति प्राप्त की गयी । प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 8-4-2003 द्वारा सूचित किया कि इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा वर्ष 1955 में रजिस्टर्ड संस्था के रूप में की गयी थी, जो वर्ष 1979 में उ०प्र० शासन द्वारा प्रबन्ध ग्रहण अध्यादेश के माध्यम से जिलाधिकारी इलाहाबाद को प्रशासक नियुक्त करते हुए अधिग्रहित कर लिया गया था । दो वर्ष बाद इस कालेज के छात्रों का समायोजन लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद में किया गया और कालान्तर में लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का प्रान्तीयकरण दिनांक 11-12-81 के आदेश से किया गया । प्रदेश के अन्य सभी ऐसे कालेज जिनके प्रबन्धतंत्र द्वारा विरोध किया गया था उन्हें बन्द करते हुए कुल 09 होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण किया गया । फलस्वरूप इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का वर्ष 1981 में अस्तित्व समाप्त हो गया ।

3–वर्ष 1981 से इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का अस्तित्व समाप्त होने के बाद प्राचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद के नाम मकान संख्या 1/1 दरियाबाद इलाहाबाद स्थित भूखण्ड को उनके नाम से हटाकर जाकिया बेगम, आर्शिया कादिरी, जुबेर अहमद एवं मुईनुद्दीन के नाम दर्ज होने की शिकायत की स्थिति संज्ञान में आने पर नगर आयुक्त नगर निगम इलाहाबाद को शासन के पत्र दिनांक 31-5-2003 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अभिलेखों में हेरा-फेरी करके नाम अंकित किये गये हैं के विरुद्ध जांच कराकर विभागीय कार्यवाही करें एवं एफ०आई०आर० दर्ज कराये और पूर्व अंकित होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का नाम पुनः दर्ज कराये । इस संबंध में नगर विकास विभाग से भी आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था ।

4–नगर आयुक्त नगर निगम इलाहाबाद ने नगर विकास विभाग को प्रकरण में जांच आख्या अपने पत्र दिनांक 9-1-2004 द्वारा प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की है । जांच आख्या में यह बताया गया है कि उक्त भवन पर प्राचार्य होम्योपैथिक कालेज इलाहबाद का नाम अंकित था । नगर निगम द्वारा उप समिति संख्या–1 के निर्णय दिनांक 25-11-2002 के अनुपालन में भवन पर अंकित प्राचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का नाम खारिज करके उनके स्थान पर श्रीमती जाकिया बेगम, श्रीमती आर्शिया कादिरी, श्री जुबेर अहमद व श्री मुईनुद्दीन का नाम दर्ज किये जाने का आदेश हुआ । जांच आख्या में उक्त कार्यवाही में नियमों का उल्लंघन होना एवं उप समिति संख्या-1 के सदस्यों को गलत आदेश के लिए उत्तरदायी बताया गया है और श्री आर०सी० श्रीवास्तव प्रभारी अधिकारी, कर/उप नगर अधिकारी एवं जोनल अधिकारी श्री हरीश चन्द्रा सहायक नगर आयुक्त को दोषी पाया गया है ।

5–चूंकि नगर निगम के अभिलेखों में नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमित ढंग से कार्यवाही करके प्राचार्य इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज का नाम भूखण्ड से खारिज कर अन्य व्यक्तियों का नाम दर्ज किया गया है । अतः नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध नगर आयुक्त नगर निगम इलाहाबाद की जांच आख्या पर कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जा रही है ।]

मेरठ नगर निगम सहित प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में स्वकर निर्धारण के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय विधान सभा सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[ने नियम-51 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लागू न करने का तथ्य इंगित करते हुए इस आशय का उल्लेख किया है कि स्वकर निर्धारण हेतु बनायी गयी सम्पत्ति कर नियमावली के प्राविधानों के अनुसार निम्न मुख्य प्राविधान होने चाहिये :-

(1) कारपेट एरिया से गणना

(2) क्षेत्रों का अन्तर (सर्किल रेट)

(3) नये पुराने भवनों का अन्तर

(4) कच्चे पक्के मकानों का अन्तर

(5) कर्मचारी/अधिकारी का बीच में न होना

(6) बैंक निर्धारण के संबंध में ।

इस संबंध में नगर निगम मेरठ से स्थिति स्पष्ट करायी गयी । उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर स्थिति निम्नवत् है :–

निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा गृहकर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के 11 नगर निगमों में स्वकर निर्धारण नियमावली लागू की गयी है । इस संबंध में उ०प्र० नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली–2000 तथा उ०प्र० सम्पत्ति कर (प्रथम संशोधन) नियमावली-2002 लागू की गयी है । स्वकर निर्धारण की यह व्यवस्था अभी मात्र नगर निगमों के लिये ही है ।

निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पत्ति कर की गणना कारपेट एरिया के आधार पर ही की जानी चाहिए तथा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया आधारित दरों का 80% होंगी जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिये माना जाएगा ।

नगर निगम, मेरठ में जन सुविधाओं के दृष्टिगत तथा गणना की सरलता के दृष्टिगत कवर्ड एरिया की गणना निर्धारित की गयी है जिसे कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है । नगर निगम द्वारा तुलनात्मक रूप से दरें कम रखी गयी हैं ताकि भवन स्वामियों पर भार कम पड़े । इसके

नोट :- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

अतिरिक्त नगर निगम, मेरठ द्वारा क्षेत्रवार वर्गीकरण भी वहां उपलब्ध जनसुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया है । जन सुविधाओं के अनुसार नगर निगम मेरठ द्वारा वर्गीकरण किया गया है तथा वर्गीकरण के अनुसार विकसित अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों का वर्गीकरण हुआ है । यह व्यवस्था भी नियमावली के प्राविधानों से हटकर है तथा शासन द्वारा जारी नियमावली में इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नही है । नये पुराने भवनों को टैक्स में छूट की व्यवस्था नगर निगम अधिनियम में प्राविधानित है किन्तु यह व्यवस्था नगर निगम के सदन द्वारा संकल्प पारित नही किया गया है । अतः यह छूट नगर निगम मेरठ द्वारा नही दी जा रही है ।

कच्चे पक्के भवनों में दरों का प्राविधान सम्पत्ति कर नियमावली 2000 में है । नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर इसे लागू किया गया है । अतः यह व्यवस्था भी मेरठ नगर निगम द्वारा लागू नही की गयी है । मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों का हस्तक्षेप नही है । मात्र उनके द्वारा इस संबंध में बनायी गयी पुस्तिका का वितरण किया गया है । इसके अतिरिक्त ऐसे भवन स्वामी जो वर्ष 2003-2004 में कर की धनराशि यद्यपि जमा कर चुके हैं किन्तु यदि स्वकर की गणना के अनुसार यदि कोई धनराशि उनके ऊपर देय है तो मात्र उसकी वसूली ही की जा रही है । इसके अतिरिक्त नगर निगम मेरठ द्वारा सम्पत्ति कर को अधिसूचित बैंक में जमा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

नगर निगम मेरठ से प्राप्त सूचना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहां पर सम्पत्ति कर निर्धारण में शासन द्वारा निर्गत नियमावली से किंचित विचलन किया गया है, अतः नगर निगम मेरठ को इस आशय के निर्देश जारी कर दिये हैं कि सम्पत्ति कर निर्धारण नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ही व्यवस्था सुनिश्चित करायें ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, जो ये तथ्य मेरे सूचना के उत्तर में आये हैं मेरठ नगर निगम से वह कत्तई भ्रामक तथ्य हैं सत्य से परे तथ्य आये हैं । जो हमारा प्रश्न है उससे अतिरिक्त सूचना दी गयी है । मैं चाहूंगा कि यहां से शासन से किसी अधिकारी को भेजकर आप तथ्यों की जानकारी करा लें और जो निर्देश जारी किए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने पर विचार करेंगे । यहां शासन से किसी अधिकारी को वहां भेज देंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं इसे देखूंगा ।

जनपद आजमगढ़ में भीषण ओलावृष्टि से किसानों की भरपाई हेतु आर्थिक सहायता का विशेष पैकेज दिये जाने के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद आजमगढ़ में .....

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[...में दिनांक 24-01-2004 को हुई भीषण ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति की भरपाई हेतु किसानो को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को आपदा राहत निधि से सहायता वितरित की जाती है जिसके अन्तर्गत पीड़ित कृषकों की फसल क्षति पर राहत सहायता दिये जाने का भी प्राविधान है । भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से जहां कृषि उद्यान वार्षिक व बारहमासी फसलों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति होती है, वहां के लघु एवं सीमान्त कृषकों के असिंचित क्षेत्रों हेतु रु० 1,000/= पूर्ण सिंचित क्षेत्रों हेतु रु० 2,500/= तथा बारहमासी फसलों के लिए रुपये 4000/= प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दिये जाने का प्राविधान है । भारत सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देश शासन के पत्र संख्या-जी.आई.-81/1-11-2003-46/96, दिनांक 11-07-2003 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को भेजे जा चुके हैं ।

प्रश्नगत प्रकरण में फसलों की क्षति का सर्वेक्षण कराकर भारत सरकार के उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार नियमानुसार राहत सहायता वितरित की जायेगी । इस संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़ को नियमानुसार राहत वितरित कराने तथा जिला प्रशासन द्वारा ओला पीड़ितों का कराया गया सर्वेक्षण, फसल क्षति, प्रभावित कृषकों की संख्या तथा वितरित सहायता की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 06-02-2004 को निर्देश भेजे जा चुके हैं ।

दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं अहेतुक सहायता दिये जाने का भी प्राविधान है ।]

वाराणसी में गंगा नदी की कटान से रामनगर को बचाने के लिए धन की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य ने यह सूचित किया है कि ....

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[जनपद वाराणसी में गंगा नदी के दांये तट पर स्थित रामनगर में बलुआ घाट पर प्रतिदिन हजारों नागरिक स्नान एवं धार्मिक अनुष्ठान करने आते हैं । गंगा नदी पर नया पुल बन जाने के कारण बलुआ घाट के किनारे कटान तेजी से बढ़ रहा है जिससे रामनगर आदि के अस्तित्व को खतरा बढ़ रहा है । मा० सदस्य ने अनुरोध किया है कि इस कटान को रोकने हेतु जनपद वाराणसी के पक्के घाट एवं सुरक्षा कार्य हेतु रु० 2.80 लाख को तैयार की गयी परियोजनाओं पर तत्काल धन स्वीकृत करा कर कार्य कराया जाय ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी के रामनगर किला के समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे पर रामनगर कस्बा स्थित है । नदी का दाहिना तट कच्चा होने के कारण किनारे की

नोट :- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

मिट्टी का क्षरण होते रहने से आबादी एवं समीपवर्ती छोटे-छोटे मन्दिरों को क्षति पहुंचने की संभावना है। इस आबादी के उत्तरी दिशा में पीपे के पुल के लगभग 55 मीटर नीचे एक छोटा नाला भी गंगा नदी में गिरता है। इस नाले के कारण भी नदी के तट पर कटान की प्रवृत्ति रहती है। स्थानीय नागरिकों द्वारा इस स्थल पर कटान से सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने तथा रामनगर किले के समीप पक्के घाट के निर्माण हेतु मांग की जाती रही है। तदनुसार रामनगर किले के बगल में स्थित पीपे के पुल के एप्रोच रोड तथा नाले के बीच के भाग को कटान से सुरक्षा हेतु बोल्डर पीचिंग एवं लांचिंग एप्रन डालने का प्रस्ताव बनाया गया है तथा रामनगर किले एवं पीपे के पुल के मध्य पक्के घाट के भी निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

उपरोक्त दोनों कार्यों की संकलित परियोजना प्राक्कलन की लागत रु० 279.73 लाख है जो उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण परिषद् के तकनीकी सलाहकार समिति की 127वीं बैठक दिनांक 25-6-2003 में स्वीकृत की गई है। उ०प्र० शासन की बाढ़ संबंधी संचालन समिति मे स्वीकृति उपरान्त धन उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है।]

जनपद बलिया के चिलकहर स्थित कोइरा ग्राम को टोन्स नदी की कटान से बचाने के लिए ठोकर का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य द्वारा....

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में स्थित कोइरा गांव किसी भी समय कटकर टोन्स नदी में गिर सकता है। इस संबंध में पिछली सरकार ने एक ठोकर बनाने का निर्णय किया था। उपरोक्त ठोकर निर्माण हेतु सरकार धन आवंटन कर रही है कि नही।

उक्त के संबंध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत टोंस नदी के बायें किनारे पर ग्राम कोइरा अवस्थित है, जिसकी आबादी लगभग 5000 है। इस ग्राम की आबादी एवं कृषि योग्य भूमि को नदी की कटान से खतरा उत्पन्न हो जाने के कारण इसकी सुरक्षा हेतु 550मीटर लम्बाई में 12 अदद बोल्डर डैम्पनर के निर्माण की कटाव निरोधक योजना लागत रु० 67.44 लाख राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25-06-2003 द्वारा संस्तुत है। राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति ने स्वीकृति के उपरान्त धन प्राप्त होने पर योजना पर कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र की टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद प्रतापगढ़ में जिला मार्ग कोंहडोर से देल्हूपुर का भाग, कोंहडोर से उटैयाडीह मार्ग तथा अकबरपुर बांदा पट्टी मार्ग का भाग सारडीह.....

नोट :- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[से पट्टी तक व अन्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण को मानकों के अनुरूप कार्य जनहित में कराये जाने के संबंध में मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी नियम-51 की सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है ।

2–इस संबंध में सूचना शासन स्तर पर उपलब्ध नही है । अतः क्षेत्रीय अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है ।]

जनपद शाहजहांपुर में विधायक की संस्तुति पर ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने विषयक श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय विधायक द्वारा संस्तुति पांच अविद्युतीकृत ग्रामों कों जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत किये जाने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाये ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[तुरन्त प्रारम्भ कर दी जायेगी । शहरी माननीय विधायकगण जिनके विधान सभा क्षेत्र में अविद्युतीकृत ग्राम आते हैं उनके ग्राम भी उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कराये जायेंगे । इस संबंध में महाप्रबन्धक (वितरण) बरेली क्षेत्र को अलग से निर्देश दिये जा रहे हैं ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, मद संख्या-33 के वक्तव्य पर मुझे यह कहना है कि जिन विधायकों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र नही आते हैं .....

श्री अध्यक्ष–

आप इसकी अलग से सूचना दीजिए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व में व्यवस्था थी कि ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को 5 गांव विद्युतीकरण के लिए मिलता था जबकि नगरीय क्षेत्र के विधायकों को विद्युत

सुदृढ़ीकरण में 15 लाख रुपया मिलता था जिससे विद्युत का काम कराया जाता था तो जो यह पूर्व में व्यवस्था थी क्या यह व्यवस्था अभी लागू है शहरी क्षेत्र के विधायकों के लिए या वह समाप्त कर दी गयी है ? सरकार मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो दे दे ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें अलग से सूचना दीजिए कई विधायक हैं जिनकी रुचि होगी ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 10 मिनट पर ...../अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:

दिनांक 10 फरवरी, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 38 विधान सभा (77)–15-6-2004–813 प्रतियां ।